ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान

कॉलेजों को विकास अनुदान संबधी दिशानिर्देश

(14 विलय की गई योजनाओं सहित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

कॉलेजों को विकास अनुदान संबधी दिशानिर्देश
(14 विलय की गई योजनाओं सहित)

1. पुराने कॉलेजों में अवसंरचना का नवीकरण
2. नये कॉलेजों के लिए 'कैच–अप' अनुदान
3. ग्रामीण / दूर–दराज / सीमावर्ती / पहाड़ी / जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज
4. अ0जा0 / अ0ज0जा0 एवं अल्पसंख्यकों की अपेक्षाकृत अधिक अनुपात वाले कॉलेज
5. कॉलेजों में क्षमता निर्माण हेतु पहल को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान
6. कॉलेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों (डे–केयर सेंटरों) की स्थापना
7. पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज
8. वि0अ0आ0 नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना
9. अ0जा0 / अ0ज0जा0 (असम्पन्न वर्ग) एवं अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी अनुशिक्षण
10. अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) एवं अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण
11. अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) एवं अल्पसंख्यकों के लिए सेवा में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षा
12. निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं
13. वृत्ति और परामर्शदात्री प्रकोष्ठ
14. कॉलेजों में समान अवसर केन्द्र

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कॉलेजों के विकास सहायता संबधी दिशानिर्देश

क. प्रस्तावना

1. कॉलेजों का विकास जो मुख्यरुप से स्नातकपूर्व शिक्षा तथा उससे भी बड़े पैमाने पर स्नातकोत्तर कॉलेज के लिए उत्तरदायी है, उचित स्तर को बनाए रखने, इष्टतम उपयोग सुविधाएँ सुनिश्चित करना, नवोन्मेष एवं परिवर्तन का उन्नयन करना, उभरते हुए वृत्ति पैटर्न को शिक्षा से जोड़ना, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा शैक्षणिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए समान शैक्षणिक अवसरों को सुनिश्चित करने के मद्देनजर उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कॉलेजों को दी जाने वाली विकास सहायता का संकेन्द्रण ग्रंथागार, प्रयोगशाला, संपर्क इत्यादि जैसी मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण–ज्ञान प्रक्रिया को सहायता देना होना चाहिए।
2. कॉलेजों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक पहचान की जाने की आवश्यकता है ताकि संसाधनों का मुख्य रुप से ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा सके जो कॉलेजों में कला सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य आदि में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण तथा तर्कसंगतता के साथ ही उसका विविधिकरण कर मानकों में सुधार को पर्याप्त रुप से प्रभावित कर सके, विशेषकर उन्हें वृत्ति के अवसरों से जोड़ सके।
3. तथापित, मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा समेकन पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को कम नामांकन वाले तथा अपर्याप्त सुविधाओं वाले अजीवनक्षम कॉलेजों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आयोग द्वारा उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। शैक्षणिक रुप से पिछड़े कॉलेजों में नए कॉलेजों की स्थापना की जा सके। जहाँ उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं।
4. छात्रों को उनके हित तथा क्षमता के मुताबिक पाठ्क्रम का चयन करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
5. मूलभूत विकास सहायता के अतिरिक्त, सामान्य विकास अनुदान के साथ अनेक योजनाओं का विलय कर दिया गया है। इन योजनाओं के लिए आवंटन ग्यारहवीं

योजना के लिए विकास अनुदान का निर्णय लेते हुए **सामान्य विकास अनुदानों के अतिरिक्त किया जाएगा**। ये निम्नवत् हैं :

(क) पुराने कॉलेजों में अवसंरचना का नवीकरण

(ख) नए कॉलेजों के लिए ''कैच–अप'' अनुदान

(ग) ग्रामीण/दूरदराज/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज

(घ) अ0जा0/अ0ज0जा0 एवं अल्पसंख्यकों की अपेक्षाकृत अधिक अनुपात वाले कॉलेज

(ड़) कॉलेजों में **पहल क्षमता निर्माण की वृद्धि** हेतु विशेष अनुदान

(च) कॉलेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना

(छ) पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज

(ज) वि0अ0आ0 नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना

(झ) कॉलेजों में समान अवसर केन्द्र

(i) अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)** और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी अनुशिक्षण

(ii) अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)** और अल्पसंख्यकों के लिए नेट हेतु अनुशिक्षण

(iii) अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)** और अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ

(ञ) निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएँ

(ट) वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ

वे कॉलेज जो नवीन कॉलेजों के तहत ''कैच–अप'' अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं वे ग्रामीण/दूर–दराज/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों, पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कॉलेज के लिए तीन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते की वे शर्तों को पूरा करते हों।

ख. उद्देश्य

(क) मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पुस्तकें और जर्नल जिसमें पुस्तक बैंक, वैज्ञानिक उपस्कर, कैम्पस विकास, शिक्षण कौशल तथा क्रीड़ा सुविधाएँ आदि भी शामिल हैं की पूर्ति करने के लिए अनुदान प्रदान करना।

(ख) मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवन के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना।

(ग) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यकों साथ ही शारीरिक रुप से विकलांग छात्रों तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे परिवारों (बीपीएल)से आने वाले आर्थिक रुप से वंचित छात्रों की आवश्यकताओ ंकी पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना।

(घ) अकादमिक रुप से खराब निष्पादन करने वालों के लिए विशेष उपचारात्मक अनुशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वे आत्मविश्वास से पूर्ण महिला और पुरुष के रुप में उपाधि प्राप्त कर सकें।

(ड़) क्षेत्रीय असंतुलनों तथा विषमताओं को दूर करने के लिए शैक्षणिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण/सीमावर्ती/पहाड़ी/दूर–दराज/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों का विकास।

(च) महिलाओं के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे सामान्य कक्ष तथा शौचालय सुविधाएँ।

(छ) पुराने कॉलेजों के नवीकरण तथा नवीन कॉलेजों के लिए 'कैच–अप' अनुदान प्रदान करना।

(ज) आस–पड़ोस के क्षेत्रों में आऊटरीच गतिविधियों, व्यस्क तथा अनुवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि समग्र रुप से उस समाज, जहाँ कॉलेज स्थित है, लाभान्वित हो।

(झ) क्षमता निर्माण पहल (नए पाठ्क्रमों को आरंभ करना तथा मौजूदा पाठ्क्रमों में दाखिले की क्षमता को बढ़ाना)।

(ञ) कॉलेजों में विशेषकर शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण पहल को समर्थन देना।

(ट) आंतरिक जाँच प्रणाली में विभिन्न विकल्पों को आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा शिक्षकों, अनुसंधान, अकादमिक श्रेष्ठता तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए नवीन विचारों को स्थान देना।

ग. अर्हता की शर्तें

योजना के तहत केवल उन कॉलेजों को सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें धारा 2(च) के तहत शामिल किया गया है और वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है तथा नीचे दी गई शर्तों पर खरा उतरते हैं।

1. स्नातकपूर्व शिक्षा के विकास हेतु सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन कॉलेजों के लिए स्नातकपूर्व शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करेगा जो नीचे दर्शायी गई शर्तों को पूरा करते हैं।

कॉलेज में प्राचार्य तथा शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण/शारीरिक शिक्षा निदेशक सहित कम से न्यूनतम संख्या में नियमित/स्थायी शिक्षक होने चाहिए। पुस्तकालयध्यक्ष को भी शामिल किया जा सकता है यदि वह शिक्षण में शामिल है। किसी संकाय में कॉलेज में (एकल संकाय कॉलेजों के अलावा) कम से कम तीन शिक्षण विभाग होने चाहिए (अनिवार्य पाठ्यक्रमों को छोड़कर)।

(i) **कला/वाणिज्य कॉलेज :** कॉलेज में कम सम कम 8 (आठ) पूर्णकालिक शिक्षक होने चाहिए (सरकारी कॉलेज के मामले में 6 तक छूट दी जा सकती है)।

क्र0सं0	छात्र नामांकन	सहायता की अधिकतम सीमा
1.	400 तक	11 लाख रुपये
2.	401 से 1000	13 लाख रुपये
3.	1001 से 1500	14 लाख रुपये
4.	1501 से 2000	15 लाख रुपये
5.	2001 से 2500	16 लाख रुपये
6.	2501 से 3000	17 लाख रुपये
7.	3000 और इससे ऊपर	18 लाख रुपये

(ii) विज्ञान/बहु–संकाय कॉलेज :

कॉलेज में न्यूनतम 12(बारह) पूर्णकालिक स्थायी/नियमित शिक्षक होने चाहिए (सरकारी कॉलेज के मामले में 10 शिक्षकों तक छूट दी जा सकती है)।

क्र0सं0	छात्र नामांकन	सहायता की अधिकतम राशि
1.	400 तक	14 लाख रुपये
2.	401 से 1000	16 लाख रुपये
3.	1001 से 1500	17 लाख रुपये
4.	1501 से 2000	18 लाख रुपये
5.	2001 से 2500	19 लाख रुपये
6.	2501 से 3000	20 लाख रुपये
7.	3001 और इससे ऊपर	21 लाख रुपये

यदि उपरोक्त दो श्रेणियों के तहत कोई कॉलेज पेशेवर पाठ्यक्रम चला रहा है जिसमें क्षेत्र कार्य भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप उपाधि दी जाती है,तो वह जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है अपनी हकदारी के साथ–साथ इनमें से प्रत्येक पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपये के अतिरिक्त अनुदान के लिए हकदार होगा। **स्ववित्तपोषित किए जाने वाले पेशेवर पाठ्यक्रम, वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे।**

(iii) एकल संकाय कॉलेज जो स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम चलाते हैं जिससे स्नातक उपाधि दी जाती है जैसे विधि, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक कार्य, प्रबंधन, गृह विज्ञान, संगीत तथा नृत्य, चित्रकला, संस्कृत, शिक्षक शिक्षा आदि।

कॉलेज में कम से कम 5 (पाँच) पूर्णकालिक स्थायी/नियमित शिक्षक होने चाहिए।

क्र0सं0	छात्र नामांकन	सहायता की अधिकतम सीमा
1.	200 तक	10 लाख रुपये
2.	201 से 400	12 लाख रुपये
3.	401 से 600	14 लाख रुपये
4.	601 और इससे ऊपर	16 लाख रुपये

(iv) शिक्षा कॉलेज जो बी0एड0/एम0एड0/बी0पी0एड0/एम0पी0एड0 पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं (सामान्य/विशेष)।

कॉलेज में कम से कम 5 (पाँच) पूर्णकालिक स्थायी/नियमित शिक्षक होने चाहिए।

क्र0सं0	छात्र नामांकन	सहायता की अधिकतम सीमा
1.	200 तक	10 लाख रुपये
2.	201 से 400	12 लाख रुपये
3.	401 से 600	14 लाख रुपये
4.	601 और इससे ऊपर	16 लाख रुपये

एनसीटीई द्वारा दिया गया **अनुमोदन** दस्तावेज **प्रस्तुत करना होगा**।

2. स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सहायता

2.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रय प्रदान करने वाले एकल संकाय कॉलेज में कम से कम 5 पूर्णकालिक स्थायी/नियमित शिक्षक होने चाहिए।

कॉलेज, जिसमें स्नातकोत्तर विभाग है और जो निम्नवत् शर्तें पूरा करता है उसे स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास हेतु सहायता के लिए विचार किया जाएगा।

2.2 (i) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग में कम से कम 4 (चार) शिक्षक होने चाहिए जिसमें 2 (दो) शिक्षकों के पास एम0फिल0/पी0एच0डी0 उपाधि होनी चाहिए।

(ii) विज्ञान विभाग तथा प्रयोगात्मक/क्षेत्र कार्य वाले विभाग में कम से कम 5 (पाँच) शिक्षक होने चाहिए जिसमें 2 (दो) शिक्षक के पास **पूर्णकालिक स्थायी/नियमित आधार पर** प्राप्त की गई एम0फिल0/पी0एच0डी0 उपाधि होनी चाहिए।

2.2 (iii) विभाग ने विषय में कम से कम 3 (तीन) मानक अकादमिक जर्नल सबसक्राईब किए हों।

2.2 (iv) **प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पिछले 3 वर्ष के दौरान विभाग द्वारा अनुसंधान में पर्याप्त क्षमता दर्शायी जानी चाहिए तथा निम्नवत में से एक संयोजन द्वारा दर्शाया जाना चाहिए।**

(क) कम से कम एक बड़ी अनुसंधान परियोजना

(ख) कम से कम तीन लघु अनुसंधान परियोजनाएँ

(ग) कम से कम पाँच अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए गए हों अथवा मानक अकादमिक जर्नलों में प्रकाशन हेतु स्वीकृत किए गए हों।

अगर विभाग कोई पेशेवर जर्नल प्रकाशित कर रहा है तो, प्रकाशित किए गए जर्नलों का नाम और संख्या दर्शायी जाए।

2.2 (v) विभाग प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्नातकोत्तर कक्षाएँ चलायी जा रही हों तथा पूर्णकालिक छात्रों की न्यूनतम संख्या 20 होनी चाहिए।

विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों के लिए सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी :

(क)	**2.2(i)** के तहत आने वाले विभाग (मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग)	प्रत्येक विभाग के लिए **5.00 लाख रुपये**
(ख)	**2.2(ii)** के तहत आने वाले विभाग (विज्ञान विभाग तथा प्रयोगात्मक/क्षेत्र कार्य वाले विभाग)	प्रत्येक विभाग के लिए **8.00 लाख रुपये**

घ. विकास सहायता के लिए कॉलेज द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना।

कॉलेज को सभी मदों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु वे अनुमेय अनुदान (कृपया अनुलग्नक–। और ।। देखें) की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर सकता है।

<u>माँगे जाने वाले अनुदान का प्रकार</u>

ग्यारहवीं योजना के दौरान विभिन्न स्तरों पर शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार करने के लिए कॉलेज विकास का एक समेकित प्रस्ताव तैयार करेगा। कॉलेज निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव शामिल कर सकता है :

क. पुस्तकें और जर्नल

सुविधाओं के संवर्धन के लिए तथा छात्रों में पठन आदतों को सुधारने के लिए पुस्तकें और जर्नलों (ई–जर्नलों सहित), सी0डी0, माइक्रो–फिल्मों, पुस्तक बैंकों की स्थापना सहित मौजूदा पुस्तक बैंक को सुदृढ़ करना शामिल है। पुस्तकों तथा जर्नलों की खरीद के लिए ग्रंथालय समिति का गठन करने का परामर्श दिया जाना है। योजना अवधि के दौरान नवीनतम प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए अनुदान का बराबर उपयोग किया जाना चाहिए। सावधानी बरती जानी चाहिए कि ''सैकेण्ड–हैन्ड'' (पुरानी) या ''रिमेडर'' (बची हुई) पुस्तकें न खरीदी जाए। इस मद के तहत 10 प्रतिशत तक की राशि को पुस्तकें रखने के लिए रेक क्रय हेतु करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह इस शीर्ष के तहत आबंटित राशि के तहत होगा।

ख. उपस्कर

उपस्करों में अन्य के साथ–साथ प्रयोगशाला उपस्कर जिसमें प्रशीतक, जलशोधक, फैक्स शामिल हैं तथा दृश्य–श्रव्य उपस्कर जिसमें डिजीटल कैमरा, एल0सी0डी0/टी0वी0 तथा अन्य शिक्षण सहायक उपस्कर, कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण, सॉफ्टवेयर (कार्यालय तथा ग्रंथालय आटोमेशन सहित), जनरेटर/इन्वर्टर तथा रेप्रोग्राफिकल सुविधाएँ, जन–संबोधन प्रणाली, क्रीड़ा उपस्कर, नेटवर्किंग तथा इंटरनेट कनेक्शन शामिल है। इसमें टाईपराईटर, कार्यालय फर्नीचर या उपस्कर शामिल नहीं होंगे। उपस्कर की योजना बनाकर क्रय करने के लिए लाभान्वित होने वाले विभागों को शामिल कर एक समिति बनाना उचित है। इस पैरा में बताए गए उपस्कर के अलावा किसी अन्य उपस्कर के लिए पर्याप्त औचित्य प्रतिपादन करना आवश्यक है तथा इसे आयोग के विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होने पर ही खरीदा जा सकता है। इस मद के तहत 10 प्रतिशत राशि को भण्डारन उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह इस शीर्ष के तहत आवंटित राशि के भीतर ही होगा।

जब सरकारी कॉलेज वि0अ0आ0 की किसी योजना के तहत उपस्कर/पुस्तकों का क्रय करते हैं तो वि0अ0आ0, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुमति पत्र की माँग नहीं करता है बशर्ते कि खरीद कड़ाई से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की गई हो और इसमें मानक बिक्री नियमों का उलंघन न किया गया हो। तथापि, कॉलेजों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वि0अ0आ0 निधियों से क्रय किए गए उपस्करों/पुस्तकों की एक सूची राज्य सरकार को भेजनी चाहिए तथा एक प्रति वि0अ0आ0/एन0आर0सी0बी0, नई दिल्ली के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित की जानी चाहिए।

ग. उपस्करों का रखरखाव

कॉलेज उपस्कर अनुदानों के तहत उपस्करों तथा आधुनिक इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर का बड़ा जखीरा बना लेते हैं जो समय के साथ–साथ बढ़ता रहता है इसलिए उचित मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसके लिए, निम्नवत हेतु व्यय किया जा सकता है :–

- उपस्कर मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जे, कलपुर्जे, आकस्मिताएँ।
- यंत्र के उपयोग, रखरखाव तथा मरम्मत के लिए संबंधित विभागों के शिक्षकों, तकनीशियनों तथा छात्रों को प्रशिक्षण।
- योजना अवधि के लिए आवंटन 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।

घ. भवन का निर्माण/विस्तार/पुनर्रूद्धार

विभिन्न प्रकार के भवनों जैसे ग्रंथालय, प्रयोगशाला, कक्षाओं, कार्यशाला शेड, पशुशाला, पुरुष छात्रावास, महिला छात्रावास, कर्मचारी आवास, शिक्षक छात्रावास (ट्रांजिट/अस्थायी), संगोष्ठि हाल, समिति कक्ष, परामर्श प्रकोष्ठ, प्रेक्षागृह, टयूटोरियल कक्ष, जलपाल गृह, अनिवासी छात्र केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, क्रीडा सुविधाएँ तथा अन्य भवनों का निर्माण/विस्तार/पुनर्रूद्धार। सांध्यकालीन कॉलेज, भवन परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करेगा बशर्ते इसकी स्वयं की भूमि हो तथा दिवसकालीन भवन में कार्यरत न हो। भवन निर्माण के लिए वि0अ0आ0 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

ड़ मौजूदा भवनों में सुविधाओं का सुधार

छोटी–मोटी मरम्मत तथा रखरखव पर व्यय किया जा सकता है परंतु कोई बड़ा निर्माण नहीं किया जाना चाहिए । अनुदान का उपयोग विद्युतीकरण तथा सैनिटेरी कार्य करने तथा एक्वा गार्ड, खाना पकाने की गैस तथा अन्य रसोई सुविधाओं, फिंटिग/शौचालयों के लिए अन्य सुविधाओं, फर्नीचर की इसी प्रकार की मदों, प्रकाश की स्टैण्ड–बाई व्यवस्था आदि करने के लिए किया जा सकता है।

योजना अवधि के लिए आवंटन 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो।

च. कॉलेजों में नेतृत्व निर्माण में वृद्धि

कर्मचारियों और छात्रों में विशेष सक्षमता निर्माण करने और उसे पोषित करने की आवश्यकता है। सक्षमता निर्माण पहल को संगठनात्मक रुप देने के लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है, जैसे :

(i) कक्षा कौशल प्राप्त करने (केवल पाँच वर्ष से कम अनुभव के लेक्चरारों के लिए) शिक्षकों को प्रोत्साहित करना।

(ii) प्राचार्य, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय स्टॉफ के लिए प्रशासनिक कौशल का विकास।

(iii) शिक्षण–ज्ञान अर्जन तथा मूल्यांकन (सभी शिक्षकों के लिए)।

(iv) कौशल विकास का उन्नयन तथा 'साफ्ट–स्किल' सीखना जैसे अध्ययन/अनुसंधान की पद्धति/ग्रंथालय सुविधाओं का उपयोग/आकर्षक लेखन/आत्मविश्वास पैदा करना/व्यक्तिगत और समूह साक्षात्कार/नेतृत्व कौशल/उद्यमशीलता/छात्र संगोष्ठियाँ तथा खेलकूद और सांकृतिक गतिविधियाँ (छात्रों के लिए) आयोजित करना।

(v) कार्यशाला में भाग लेना/छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारत में अन्य संस्थानों में), प्राचार्य और अन्य संकाय सदस्य, पुस्तकालयध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक तथा कार्यालय स्टॉफ।

(vi) समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्नवत् के लिए व्यय किया जा सकता है :–

- यात्रा भत्ता (भारत में यात्रा के लिए)। रिसोर्स व्यक्ति के लिए यात्रा भत्ता वायुयान द्वारा यात्रा (किफायती श्रेणी) या रेल द्वारा यात्रा (वातानुकूलित यान।। टीयर) तक सीमित है। कॉलेज स्टॉफ के लिए हकदारी के मुताबिक यात्रा व्यय किया जा सकता है। छात्र रेल द्वारा यात्रा कर सकते हैं (द्वितीय श्रेणी)।
- रिसोर्स व्यक्ति को प्रतिदिन 1000/– रु0 की दर से मानदेय।
- स्टेशन से बाहर से आने वाले रिसोर्स व्यक्ति की मेहमान–नवाजी।
- संकाय सदस्यों, कार्यालय स्टॉफ तथा छात्रों को अन्य संस्थानों के दौरे के दौरान ठहरने की व्यवस्था।
- लेखन सामग्री।

क्षमता निर्माण पहल के तहत आवंटन योजना अवधि के लिए 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।

छ. परीक्षा सुधार

उन सम्बद्ध कॉलेजों के लिए जो विश्वविद्यालय परीक्षा तंत्र को परिवर्तित नहीं कर सकते, आंतरिक परीक्षा में सुधार किया जा सकता है ताकि असाइनमेंट तथा परियोजना कार्य को भी आंतरिक परीक्षा तंत्र का भाग माना जा सके। आवधिक जाँच के आधार पर छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए साथ ही वे परियोजना/असाइनमेंट को किस प्रकार पूरा करने में सक्षम होते हैं।

निम्नवत् पर व्यय किया जा सकता है :–

- लेखन सामग्री पर
- रेप्रोग्राफिक सुविधाओं पर
- कार्यशालाएँ आयोजित करने पर {यात्रा भत्ता (भारत में)}, वायुयान द्वारा यात्रा किफायती श्रेणी तक सीमित है, रेल द्वारा वातानुकूलित ।। टीयर तक सीमित है; प्रत्येक रिसोर्स

व्यक्ति को प्रतिदिन 1000/– रु0 का मानदेय, स्टेशन से बाहर के रिसोर्स व्यक्ति के लिए मेहमान–नवाजी।

योजना अवधि के लिए आवंटन 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो।

ज. शैक्षणिक नवाचार

शिक्षण, अनुसंधान, अकादमिक उत्कृष्टता तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए नवाचारी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कॉलेज एक कार्ययोजना प्रस्तुत कर सकता है जिमें प्रस्ताव के गुणावगुण के अनुसार उस पर ध्यान दिया जा सकता है।

पाठ्यचर्या को अधिक जीवन्त बनाने के लिए नवाचारी विचारों को सन्निविष्ट किए जाने के प्रस्ताव पर कॉलेज विचार कर सकता है। उदाहरण के लिए, इतिहास के तहत, विरासत के संरक्षण के लिए इतिहास का अवलोकन करना होता है साथ ही व्यक्ति वर्तमान यथार्थ से भी अवगत होता है।

क्षेत्र दिग्विन्यास जो अधिमानतः अंतरविषय प्रकृति का हो, पर बल दिया जा सकता है। एक से अधिक विभाग इसमें शामिल हो सकते हैं। अंतरविषयी पद्धति में एक से अधिक विभाग शामिल हो सकते हैं। अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक, प्रौद्यागिकीविद्, उद्योगपति, अकादमिशियनों, संगठनों, जहाँ कहीं भी लागू हो, उनकी सक्रिय भागीदारी का ब्यौरा दिया जा सकता है।

निम्नवत् पर व्यय किया जा सकता है :–

- उपस्कर
- क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ
- विशेष आवश्यकताओं सहित आकस्मिताएँ

- पुस्तकें और जर्नल
- रिसोर्स व्यक्ति {यात्रा भत्ता (भारत में), वायुयान द्वारा यात्रा, किफायती श्रेणी तक सीमित है, रेल द्वारा वातानुकूलित ।। टीयर तक सीमित है, प्रत्येक रिसोर्स व्यक्ति के लिए 1000/– रु0 प्रति दिवस का मानदेय, स्टेशन से बाहर के रिसोर्स व्यक्ति के लिए मेहमान–नवाजी।}

योजना अवधि के लिए आवंटन 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो।

झ. क्षेत्र कार्य/अध्ययन दौरे

जहाँ कहीं भी पाठ्यचर्या में क्षेत्र कार्य करना शामिल हो या अध्ययन दौरे करने की आवश्यकता हो, इस शीर्ष के तहत, अनुदान मांगा जा सकता है। छात्रों तथा उनके साथ जाने वाले शिक्षक के लिए यातायात, परिवहन तथा ठहरने की व्यवस्था के लिए अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

स्नातकपूर्व कॉलेजों के लिए आवंटन 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है तथा स्नातकोत्तर कॉलेजों के लिए 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।

ञ. विस्तार गतिविधियाँ

विशिष्ट कार्यक्रमों के रुप में समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए विस्तार गतिविधियाँ जैसे :–

व्यस्क साक्षरता, बच्चों के लिए साक्षरता, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यकलाप स्वास्थ्य जागरुकता आदि। अनुदान का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। पारिश्रमिक, यातायात, मेहमान–नवाजी तथा आकस्मिता के लिए व्यय किया जा सकता है।

योजना अवधि के लिए आवंटन 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

वे कॉलेज जिनमें एन.एस.एस. इकाईयाँ हैं, वे विस्तार गतिविधियों के तहत आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।

ट. अतिरिक्त अनुदान

मौजूदा भवन में सुविधाओं का सुधार – महिलाओं के लिए सामान्य कक्ष और शौचालय सुविधाएँ।

संस्थान के लिए अनिवार्य है कि वह महिलाओं (छात्रों और कर्मचारियों) के लिए सामान्य कक्ष तथा शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध कराए। यदि पहले ही पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं है, तो संस्थान इस प्रयोजनार्थ 2.00 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

कॉलेज को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानों का केवल एक सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ठ. आयोजना बोर्ड

कॉलेज अपनी आवश्यकताओं को पहचानने तथा प्राथमिकताओं का निर्णय लेने के उपरांत, विकास हेतु अपने प्रस्ताव को तैयार करने के लिए एक आयोजना बोर्ड का गठन कर सकता है। प्राचार्य या वरिष्ठ शिक्षकों के अलावा, खजांची या लेखा विभाग से एक वरिष्ठ कर्मचारी आयोजना बोर्ड का सदस्य हो सकता है।

अनुदान का आधार

(i) सभी अनुमोदित मदों के लिए सहायता का पैटर्न, प्रत्येक मद के लिए सहायता/आवंटन की अधिकतम सीमा के भीतर शतप्रतिशत होगा। तथापि, कॉलेजों को सभी अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए जायेंगे। **निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाएगा।**

(ii) **सभी भवन परियोजनाओं के लिए वि0अ0आ0 से सहायता किसी भी मामले में (अतिरिक्त अनुदान के तहत आने वाली परियोजनाओं को छोड़कर) कुल आवंटन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।**

(iii) छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करते हुए कॉलेज को केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों में अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा **अ0पि0व0(असम्पन्न वर्ग),** के छात्रों के लिए क्रमशः 15, 7.5 तथा 27 प्रतिशत सीटें अथवा राज्य स्तर पर अपेक्षित प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए जो अन्य छात्रों को केवल तभी दी जा सकती है यदि अपेक्षित संख्या में अ0जा0/अ0ज0जा0 के छात्र उपलब्ध न हो।

(iv) ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रस्ताव में विशिष्ट भवन के प्रस्तावित निर्माण अथवा मौजूदा भवन के विस्तार का ब्यौरा यह दर्शाते हुए दिया जाना चाहिए कि वर्तमान भवन का कितना उपयोग किया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान निर्माण/विस्तार/पुनर्रूद्धार के प्रस्ताव को एक बार स्वीकार किये जाने पर उसके नक्शे तथा अनुमानित लागत का विस्तृत ब्यौरा जिसमें भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने की अपेक्षित अवधि को दर्शाया गया हो, प्रस्तुत किया जाए। कॉलेज को आरंभिक प्रस्ताव भेजे जाने के समय विभिन्न भवन परियोजनाओं के नक्शे तथा विस्तृत अनुमान भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। वि0अ0आ0 द्वारा प्रस्ताव को ''सिद्धांत रुप में''

स्वीकार किए जाने (दिशानिर्देश अलग से जारी किए गए हैं) के बाद ही दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित विस्तृत अनुमान तैयार किए जायें। **योजना अवधि के अंतिम वर्ष में भवन के निर्माण/विस्तार/पुनर्रूद्धार के प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।**

(v) वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पद इसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा तथा कॉलेजों की आवश्यकताओं और इसकी जीवनक्षमता के मद्देनजर विभिन्न मदों और कार्यक्रमों के लिए सहायता का अनुमोदन किया जाएगा। आयोग के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सभी मदों और प्रत्येक मद के लिए प्रस्तावित राशि को स्वीकार करे।

(vi) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक अनुमोदित मद के लिए किए गए आवंटन के समक्ष अनुदान को दसवीं योजना तथा इससे पूर्व की योजना अवधि के दौरान इन मदों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ही जारी किया जाएगा।

(vii) केवल वे कॉलेज जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विहित संबद्धन की शर्तों को पूरा करते हैं तथा जिन्हें वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) में शामिल किया गया है तथा उनकी स्थापना 17.06.1972 के बाद हुई है, अपने प्रस्ताव भेजने के लिए पात्र हैं।

ड अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

वि0अ0आ0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कॉलेज के प्रस्ताव को अंतिम रुप दिए जाने तथा अनुमोदित किए जाने के बाद भवन के अलावा अनुदान को निम्नवत जारी किया जाएगा।

अनुदान की पहली किश्त (कुल आवंटन का 20 प्रतिशत जिसमें भवन के अलावा अतिरिक्त अनुदान तथा विलय की गई योजनाएँ भी शामिल हैं, यदि कोई हो तो, जब तक कि किसी विशिष्ट विलय की गई योजना के लिए विनिर्दिष्ट न किया या हो) को आवंटन पत्र के साथ ही जारी कर दिया जाएगा बशर्ते की पात्रता की शर्तें तथा निधियों की उपलब्धता की शर्तें पूरी की जाएं।

अनुदानों की उत्तरवर्ती किश्तों को पहली किश्त के पैर्टन पर ही जारी किया जाएगा जो कि पूर्व के अनुदानों के लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र तथा व्यय के लेखापरीक्षित विवरण तथा संबंधित दस्तावेजों तथा वि0अ0आ0 द्वारा उनकी स्वीकृति के अध्यधीन होगा **(कृपया, अनुलग्नक III तथा IV को देखें)।**

नोट :

क. उन कॉलेजों जिन्हें 31 मार्च, 2007 को वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत कॉलेजों की सूची में शामिल किया गया है केवल वे ही अधिकतम सीमा के 100 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

ख. वे कॉलेज जिन्हें 31 मार्च, 2007 के बाद तथा 31 मार्च, 2008 से पहले उक्त सूची में शामिल किया गया है, वे अधिकतम सीमा के 80 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

ग. वे कॉलेज जिन्हें उक्त सूची में 31 मार्च, 2008 के बाद तथा 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले शामिल किया गया वे अधिकतम सीमा के 60 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

घ. वे कॉलेज जिन्हें 31 मार्च, 2010 के बाद उक्त सूची में शामिल किया जाएगा वे अधिकतम सीमा का 20 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। तत्पश्चात्

ग्यारहवीं योजना के दौरान कॉलेज कोई भी अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

ड़ **वि0अ0आ0 को सूचनार्थ अनुमोदित मदों के भीतर (भवन को छोड़कर) कुल आवंटन का 10 प्रतिशत तक पुनर्विनियोजन करने की अनुमति है।**

ज. **ग्यारहवीं योजना के दौरान विकास अनुदान के साथ विलय की गई योजनाएँ।**

क. पुराने कॉलेजों में अवसंरचना का नवीकरण

1. प्रस्तावना

स्वतंत्रतापूर्व मौजूद कॉलेजों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् तथा नेताओं को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। स्वतंत्रता उपरांत, भारत में उच्च शिक्षा के विकास, बल्कि समाज के सभी वर्गों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना एक विशालकाय कार्य था। देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन को उपलब्ध कराये जाने की जरूरत थी। यह स्वतंत्रतापूर्व मौजूद संस्थानों से शिक्षित मानव संसाधन के साथ ही संभव हुआ। देश पर इन कॉलेजों का ऋण है कि उन्होंने न केवल स्वतंत्रतापूर्व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की बल्कि अब भी करते आ रहे हैं।

कुछ पुराने संस्थान अपनी भौतिक अवसंरचना को बनाए रखने में सक्षम हुए है बल्कि उन्होंने नए भवनों का भी निर्माण किया। परन्तु कुछ संस्थानों को उनके भवनों को जर्जर स्थिति से उबारने की आवश्यकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए वि0अ0आ0 15 अगस्त,1947 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के निर्माण/विस्तार/नवीकरण के लिए अनुदान प्रदान करेगा, जहाँ मौजूदा अवसंरचना के पुनर्रूद्धार करने की आवश्यकता है।

2. **उद्देश्य**

15 अगस्त, 1947 से पूर्व स्थापित पुराने कॉलेजों को उनके भवन के नवीकरण या तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर कक्षाओं/प्रयोगशालाओं या अन्य अवसंरचना के निर्माण/विस्तार हेतु मदद देना।

3. **अर्हता**

कॉलेज जिन्हें वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत बनाई गई सूची में शामिल किया गया है तथा 15 अगस्त, 1947 से पहले स्थापित किया गया था वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज जो वि0अ0आ0 से विकास सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं वे इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

4. सहायता का स्वरूप

योजना के तहत वि0अ0आ0 भवन के पुनर्रूद्धार जिसमें कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, स्टॉफ कक्ष, सामान्य कक्ष, छात्रावास आदि शामिल है या अत्यधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर कक्षाओं/प्रयोगशालाओं या अन्य आवश्यकताओं के निर्माण/विस्तार के लिए **15.00 लाख रुपये** तक उपलब्ध कराएगा। आरंभ में प्रस्ताव को ''सिद्धांत रुप में'' अनुमोदित किया जाएगा तथा अंतिम अनुमोदन आवश्यक दस्तावेज जिसे भवन निर्माण के लिए दिशानिर्देशों में दिया गया है, उपलब्ध कराने पर दिया जाएगा। वि0अ0आ0 भवन के भीतर उपलब्ध अवसंरचना की हालत का जायजा लेने के लिए एक निरीक्षण दल को **आवश्यकता पड़ने पर** भेज सकता है।

ख. नवीन कॉलेजों के लिए ''कैच–अप'' अनुदान

1. प्रस्तावना

जैसा कि योजना का नाम ही स्वयं बताता है कि यह हाल ही में धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत आए कॉलेज, जो अब तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं थे, उन्हें विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए है। इसलिए, सामान्य विकास अनुदान प्रदान करने के साथ–साथ यह कॉलेज ''कैच–अप'' अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि भवन, पुस्तकों तथा जर्नल एवं उपस्करों के रुप में मूलभूत अवसंरचना का तेजी से निर्माण/सुदृढ़ किया जा सके।

2. उद्देश्य

विशेष अनुदान का उद्देश्य है :–

(i) भवन निर्माण और कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर तथा उपस्कर का क्रय करने के लिए सहायता प्रदान करना **जिनका प्रस्ताव प्रस्तुत करने से एक वर्ष पहले तक निर्माण नहीं किया गया था।**

(ii) पुस्तकें क्रय करने तथा जर्नल सबसक्राईब करने (ई–जर्नल सहित), वैज्ञानिक तथा शिक्षण उपस्कर, खेल–कूद किट की खरीद हेतु अनुदान प्रदान करना।

3. अर्हता

वे कॉलेज जिन्हें दसवीं योजना तथा तत्पश्चात् वि0अ0आ0 द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्रदान की गई है, वे योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते नवीन कॉलेजों के लिए दसवीं योजना के तहत सहायता का लाभ नहीं उठाया गया हो। कॉलेज को आवेदन करते समय वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्रदान करने के संबंध में जारी किए गए पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए। **वह कॉलेज जिसने दसवीं योजना में इस योजना**

के तहत अनुदान प्राप्त किया है वह पुनः ग्यारहवीं योजना में अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा बशर्ते कि वह पात्रता की शर्ते पूरा करता हो।

4. सहायता का स्वरूप

योजना के तहत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना के तहत कॉलेज अधिकतम **12.00 लाख रुपये** प्राप्त कर सकता है। भवन के लिए आवंटित राशि **9.00 लाख रुपये** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

(क) पुस्तकों तथा उपस्करों के लिए अनुदान को पहली किश्त के रुप में जारी किया जाएगा।

(ख) भवन के किए अनुदान को भवन दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

ग. ग्रामीण/दूरदराज/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज

1. प्रस्तावना :

ग्यारहवीं योजना के तहत ''समावेशी–भाव'' सभी के लिए समान पहुँच पर बल दिया गया है। इस पद्धति में उन क्षेत्रों, प्रदेशों साथ ही सामाजिक, आर्थिक समूहों की पहचान करना शामिल है जिनमें अन्य के मुकाबले उच्च शिक्षा तक पहुँच कम रही तथा जो अखिल भारतीय औसत से कम हैं।

एक पहलू जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वह ग्रामीण–शहरी विषमता है। वर्ष 2000 के शुरुआती वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नामांकन अनुपात 5. 6 प्रतिशत था जोकि शहरी क्षेत्रों में 20.44 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों से छात्रों के साथ ही चिन्हित दूरदराज/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में तीव्रता से सुधार किए जाने की आवश्यकता है – अर्थात् ''समावेशी–भाव'' की मांग।

उचित यातायात सुविधाओं का अभाव एक समस्या है जिसका सामान्यतः शहरी क्षेत्रों से सामना नहीं किया जाता है–एक बुनियादी अवरोध है। शिक्षक और छात्र दोनों ही समान रुप से समस्या का सामना करते हैं तथा सामान्यतः उन्हें आने–जाने में बहुत समय व्यय करना पड़ता है। इसलिए, मूलभूत आवश्यकता पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के लिए आवास तथा छात्रों के लिए छात्रावास की होगी।

चूँकि सभी छात्रों को आवास उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता है इसलिए कॉलेज से 10 कि.मी. या अधिक दूरी से आने वाले छात्रों को अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह का परिवहन भत्ता दिया जा सकता है। उपस्थिति को भी महत्व दिया जाना चाहिए। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अकादमिक कलेण्डर के प्रथम तीन माह के दौरान उपस्थिति के आधार पर इसका निर्णय लिया जा सकता है।

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को किराये के आधार पर आवास उपलब्ध कराकर अवस्थिति विशिष्ट पाठ्यचर्या के विकास और कार्यान्वयन तथा ग्रामीण/दूरदराज/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों के योग्य छात्रों को परिवहन भत्ता उपलब्ध करा कर उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ा कर अवस्थितिजनक विषमताओं को कम करना है।

3. अर्हता

वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर कॉलेज तथा ग्रामीण/दूरदराज/सीमावर्ती (अंतराष्ट्रीय सीमा से 20 कि0मी0 भीतर)/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज ब्लॉक विकास अधिकारी या समकक्ष स्तर के सरकारी अधिकारी द्वारा कॉलेज की स्थिति के संबंध में एक प्रमाणपत्र के साथ आवेदन कर सकता है।

वे छात्र जिन्हें 10 किमी. या अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है (एक तरफा) तथा जिनकी पारिवारिक आय 5000/– रुपये प्रतिमाह या इससे कम है तथा जिनकी उपस्थिति 70 प्रतिशत तथा इससे अधिक है वे परिवहन भत्ता हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार होगा। तत्पश्चात् उसे पुनः वार्षिक परीक्षा में निष्पादन के आधार पर पुनः प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा।

4. सहायता का स्वरूप :

कॉलेज निम्नवत् के आधार पर **10 लाख रुपये** तक के अनुदान के लिए पात्र होगा।

- किराये के आधार पर शिक्षकों/छात्रों को आवास

- छात्रों को परिवहन भत्ता (अधिकतम दूरी कवर करने वाले छात्रों को अधिकतम **500/– रुपये** प्रतिमाह) उपलब्ध कराना (एक सप्ताह से अधिक की अवकाश/छुटटी/विश्रांति काल के दौरान कोई परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा।)

- अवस्थिति–विशिष्ट–पाठ्यचर्या का विकास एवं उसे लागू करना।

5. **परिवहन भत्ते के लिए छात्रों का चयन :**

(क) **आने जाने की दूरी** : निवास स्थान से संस्थान की न्यूनतम दूरी 10 किमी0 तथा इससे अधिक होगी (एक तरफा)।

(ख) पारिवारिक आय प्रतिमाह 5000/–रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(घ) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0(असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के अपेक्षाकृत अधिक अनुपात वाले कॉलेज।

1. **प्रस्तावना :**

अनुसूचित जातियों (अ0जा0) और अनुसूचित जनजातियों (अ0ज0जा) की भारतीय समाज के दो सबसे पिछड़े समूहों के रुप में पहचान की गई है। इनमें वे सब जातियाँ, प्रजातियाँ या जनजातियाँ शामिल हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के तहत अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 घोषित किया गया है।

इसके अलावा देश का संविधान अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 को दो सबसे पिछड़े समूहों के रुप में पहचानता है जिन्हें विशेष सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में वि0अ0आ0, अ0जा0/अ0ज0जा0 प्रकोष्ठों की स्थापना की योजना को कार्यान्वित कर रहा है ताकि आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया जा सके, छात्रों को उनके अध्ययन को सुचारू रुप से जारी रखने के लिए सक्षम बनाने हेतु उपचारी अनुशिक्षण, नेट के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ तथा सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ/विभिन्न स्तरों पर अध्येतावृत्ति योजनाएँ हैं। अनेक योजनाएँ अल्पसंख्यकों को भी प्रदान की गई हैं।

विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, उन कॉलेजों को विशेष विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा जहाँ अ0जा0/अ0ज0जा0/अल्पसंख्यकों का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात है। साथ ही, इस योजना का लाभ अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)/शारीरिक रुप से विकलांग तथा वित्तीय रुप से कमजोर छात्रों को भी प्रदान किया गया है।

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य अ0जा0/अ0ज0जा0/अल्पसंख्यक समुदायों, अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) के छात्रों, आर्थिक तंगी झेल रहे छात्रों तथा शारीरिक रुप से विकलांग छात्रों की पहुँच को बढ़ावा देना है।

3. अर्हता

वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च)और 12(ख) के तहत कवर कॉलेज तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 अथवा अल्पसंख्यकों, अ0पि0व0(असम्पन्न वर्ग) छात्रों, शारीरिक रुप से विकलांग और आर्थिक रुप से **वंचित** छात्रों (संबंधित राज्य सरकार/स0रा0क्षे0/केन्द्र सरकार द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार), जहाँ कम से कम 35 प्रतिशत छात्र इन श्रेणियों से संबंध रखते हों, अथवा जिन्हें सरकार द्वारा विशिष्ट रुप से अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया हो, वे इस योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं।

4. सहायता का स्वरूप :

कॉलेज निम्नवत हेतु **6.00 लाख रुपये** तक के अनुदान के लिए पात्र होगा :

इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले 100 छात्रों को ''मेरिट–कम–मीन्स'' आधार पर 500/– रुपये प्रतिमाह की वृत्तिका दी जाएगी जिसे पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा आकस्मिक व्यय हेतु कॉलेज द्वारा चयन किया जाएगा।

5. छात्रों का चयन (मेरिट–कम–मीन्स) :

अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग), अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों, शारीरिक रुप से विकलांग तथा वित्तीय रुप से कमजोर (सामान्य श्रेणी) के लिए पृथक सूची बनाई जाएगी।

विज्ञान, कला तथा वाणिज्य विषयों के लिए पृथक सूची बनाई जा सकती है।

अंतिम परीक्षा में निष्पादन को महत्व दिया जाएगा और पारिवारिक आय 5,000/– रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पुरस्कारों का वार्षिक रुप से निर्णय लिया जाएगा तथा छात्र को वर्ष में एक छात्र को पुरस्कार दिया जाएगा। तत्पश्चात् उसे पिछली वार्षिक परीक्षा में निष्पादन के आधार पर पुनः प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा।

ड़ कॉलेजों में नेतृत्व क्षमता निर्माण के विस्तार हेतु विशेष अनुदान

1. प्रस्तावना :

कॉलेज के लिए वर्ष दर वर्ष पाठ्यचर्या की पेशकश करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वर्षों के दौरान उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की मांग का निर्धारण करना भी महत्वपूर्ण है। यदि मौजूदा पाठ्यक्रम में अकादमिक सत्र के आरंभ में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या के मुकाबले दाखिला पाने वाले छात्रों की संख्या अत्यंत कम है तो कॉलेज पाठ्यक्रम में दाखिले को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। तथापि, कॉलेज को स्थानीय

आवश्यकताओं तथा जरूरतों के मुताबिक नए शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मौजूदा पाठ्यक्रम में दाखिले की क्षमता में वृद्धि तथा साथ ही नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने, दोनों के दृष्टिगत विस्तार को सहायता देने के मद्देनजर, वि0अ0आ0 पुस्तकें तथा उपस्कर खरीदने के लिए जर्नल सबसक्राईब, नई प्रयोगशाला अथवा प्रयोगशाला का निर्माण करने तथा नवनिर्मित प्रयोगशाला/कक्षा के लिए फर्नीचर तथा उपस्कर की खरीद करने के लिए विशेष अनुदान प्रदान करेगा।

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य मौजूदा पाठ्यक्रमों तथा साथ ही नए शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए दाखिले की क्षमता को बढ़ाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करना है।

3. अर्हता

वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर सभी कॉलेज मूलभूत विकास सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा वे इस विशेष योजना के तहत सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

4. सहायता का स्वरूप

एक कॉलेज **7.00 लाख रुपये** तक के अनुदान हेतु उस पाठ्यक्रम के लिए पात्र होगा जहाँ नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए भर्ती क्षमता का यथा निम्नवत बढ़ाया जाना है :

- पुस्तकें तथा जर्नल

- उपस्कर
- कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण/विस्तार
- नवनिर्मित कक्षाओं/प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर तथा उपस्कर

मौजूदा पाठ्यक्रम में दाखिले की क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछले तीन अकादमिक वर्षों के दौरान आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या तथा वास्तव में जिन्हें दाखिला प्रदान किया गया उन छात्रों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। नया शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए विस्तृत औचित्य प्रतिपादन किया जाए।

च. कॉलेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना

1. प्रस्तावना

वि0अ0आ0 ने कॉलेजों में भुगतान के आधार पर लगभग 3 से 6 माह की आयु के बच्चों के लिए दिवस देखभाल योजना आरंभ की है जबकि दिन के समय उनके माता–पिता (स्टॉफ/छात्र) घर से दूर होते हैं। इसमें पुरुष कर्मचारी/स्कॉलर/छात्र भी शामिल हैं जिनकी पत्नियाँ कहीं और कार्यरत हैं।

2. उद्देश्य

महिला तथा कामकाजी माता–पिताओं (कॉलेज कर्मचारियों) को कार्य घंटों के दौरान अपने बच्चों के बारे में चिंता न करके अपने वृत्तिका को जारी रख सके।

पुरुष/महिला कॉलेज कर्मचारियों/स्कॉलरों/छात्रों के बच्चों को कार्य घंटों के दौरान सुरक्षित स्थान तथा वातावरण उपलब्ध कराना।

3. अर्हता :

योजना के अंतर्गत वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सभी पात्र कॉलेजों पर विचार किया जा सकता है।

दिवस देखभाल केन्द्र को 25 से 30 बच्चों के लिए लगभग 800 से 1200 वर्ग मी0 की पर्याप्त अंदरुनी जगह प्रदान करनी चाहिए। अगर बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है तो उपस्करों के साथ–साथ स्थान तथा कर्मचारियों की संख्या में भी बराबर वृद्धि होनी चाहिए। कार्यकलापों, विश्राम करने तथा खाना पकाने और अधिमानतः शिशुओं के लिए एक पृथक कमरा होना चाहिए।

दिवस देखभाल केन्द्र में बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए जिसमें बड़ी रंगीन साज–सज्जा तथा निरीक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलाप के अलावा क्रियाकलाप केन्द्र होना चाहिए जिसमें खेलकूद सामग्री होनी चाहिए जिनसे बच्चा स्वयं खेल सके। यह एक यातायात, सीढ़ियों तथा लिफ्ट जैसे खतरों से दूर सुरक्षित स्थान पर स्थित होना चाहिए और सामान्य शौचालयों के अधिक समीप भी नहीं होना चाहिए।

4. सहायता का स्वरूप

योजना आरंभ करने के लिए वि0अ0आ0 द्वारा कॉलेज को वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सूचीबद्ध कॉलेजों के लिए एक मुश्त **2.00 लाख रुपये** का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान का उपयोग आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। दिवस देखभाल केन्द्र किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के लिए लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाता है।

छ. पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज

1. प्रस्तावना :

पिछले दशक में भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नए शिक्षण संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है, जोकि अधिकांशतः निजी निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप हुआ है। तथापि, इस प्रकार की पहल मुख्यतः बड़े शहरी केन्द्रों तथा अधिक विकसित राज्यों तक ही सीमित रही है। इस प्रकार नामांकन दरों में क्षेत्रीय विषमता तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता में हाल ही के वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

पिछड़ेपन की संकल्पना जिसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति(1981 में योजना आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की) ने योजनागत विकास हेतु संगत पाया कि किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र तब कहा जाए यदि इसे विकास क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता हो। दसवीं योजना के दौरान, वि0अ0आ0 ने समग्र साक्षरता दर को शैक्षणिक रुप से पिछड़े क्षेत्र की पहचान के लिए एकल सूचक के रुप में अंगीकार किया। वे जिले जहाँ समग्र साक्षरता दर, राष्ट्रीय औसत से कम थी उनकी शैक्षणिक रुप से पिछड़े क्षेत्र के रुप में पहचान की गई। तथापि, यह पाया गया कि साक्षरता का एकल सूचक सामान्य एवं विशिष्ट रुप से उच्च शिक्षा में शैक्षणिक पिछड़ेपन की जटिलताओं को ग्रहण नहीं करता।

देश में शैक्षणिक रुप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए अब नए मानदण्डों का उपयोग किया जा रहा है, जो उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील होंगे। यह हैं :

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर (जी0ई0आर0) = 18 से 23 वर्ष समूह की कुल जनसंख्या में उच्च माध्यमिक कक्षात्तेर सभी नामांकन।

कॉलेज जो उस जिले में स्थित है जहाँ जी0ई0आर0 राष्ट्रीय औसत से कम है उसे पिछड़े क्षेत्र का कॉलेज माना जाएगा।

2. उद्देश्य

शैक्षणिक रुप से पिछड़े जिलों में अवस्थित कॉलेजों के लिए अवसंरचना और शिक्षण ज्ञान अर्जन संसाधनों के विकास हेतु सहायता प्रदान करना, जिससे उच्च शिक्षा में अर्हक जनसंख्या को बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके।

3. अर्हता

वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर और पहचान किए गए शैक्षणिक रुप से पिछड़े जिलों में स्थित कॉलेज, जो मूलभूत विकास सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, वे इस विशेष योजना के तहत सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं। **एक कॉलेज जिसे दसवीं योजना के तहत इस योजना के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है वह पुनः ग्यारहवीं योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा बशर्ते की वह सभी पात्रता की शर्तें पूरी करता हो।**

4. सहायता का स्वरूप

इस योजना के तहत सहायता की अधिकतम सीमा **12.00 लाख रुपये** होगी।

कॉलेज भवन निर्माण के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है जिसका प्रकार अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। **भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि 9.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

चूँकि पुस्तकों की उपलब्धता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से भी जुड़ी है, कॉलेज जिसमें प्रति छात्र दस(10) पुस्तकें हैं उसे अनिवार्य रुप से इस विशेष योजना के तहत

पुस्तकों के लिए अनुदान प्राप्त करना चाहिए ताकि कमी को दूर किया जा सके। कॉलेज जर्नल सबसक्राईब करने के लिए भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

जहाँ पर्सनल कम्प्यूटरों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं (प्रति पी.सी. 50 से अधिक छात्र) कॉलेज पी.सी. के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है ताकि प्रत्येक छात्र को कम से कम प्रति सप्ताह एक घंटे का कम्प्यूटर समय प्रदान किया जा सके। कॉलेज अपनी अतिआवश्यक जरूरतों के आधार पर अन्य शिक्षण उपकरणों तथा वैज्ञानिक उपकरणों, खेलकूद किट के लिए भी अनुदान **प्राप्त कर सकता है।**

ज. कॉलेजों में वि0अ0आ0 नेटवर्क संसाधन केन्द्र (यू.जी.सी.–एन.आर.सी.) की स्थापना

1. प्रस्तावना

वि0अ0आ0, कॉलेजों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की योजना के तहत 1987 से कम्प्यूटर की खरीद के लिए कॉलेजों को सहायता देता आया है। मौजूदा योजना को दसवीं योजना में कॉलेजों के लिए ''वि0अ0आ0 नेटवर्क संसाधन केन्द्र (यू.जी.सी.–एन. आर.सी.)'' के तहत आरंभ किया गया था जिसमें कम्प्यूटरों के क्रय के लिए सहायता दी जाएगी तथा इंटरनेट संपर्क के लिए भी सहायता दी जाएगी जो ग्यारहवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगी।

2. योजना के उद्देश्य

योजना का उद्देश्य स्टॉफ तथा छात्रों में विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशासन, वित्त, परीक्षाओं तथा अनुसंधान के लिए कम्प्यूटर के उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। सूचना तथा संचार नेटवर्क के साथ–साथ इससे कॉलेजों को भारत तथा विदेशों में प्रतिष्ठित शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के स्थानों में मल्टीमीडिया सामग्री तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा।

3. अर्हता / लक्ष्य

वि0अ0आ0 की निगरानी में सभी कॉलेज अर्थात् वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सभी कॉलेज जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत कम्प्यूटर सुविधा प्राप्त नहीं की है वे इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक मुश्त सहायता है तथा जिन कॉलेजों ने पहले इसका लाभ उठाया है वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

4. सहायता का स्वरूप

वित्तीय सहायता

नीचे दी गई मदों के लिए सहायता की अधिकतम सीमा **3.00 लाख रुपये** है :–

<u>हार्डवेयर</u> पेंटियम पी.सी. (अत्याधुनिक) कलर मॉनिटर सहित (सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण पहले ही लोड़ किया गया हो) प्रिंटर तथा यू.पी.एस. के साथ	**3 – 5**
<u>सॉफ्टवेयर</u> एम.एस. ऑफिस या स्मार्ट सूट : एंटीवायरस **फैक्स मॉडम (अंदरूनी या बाहरी) अनुरक्षण और इंटरनेट कनेक्टिविटी**	

वित्तीय सहायता 5 वर्ष की अवधि के लिए है या ग्यारहवीं योजना के अंत, जो भी पहले हो, के लिए है। सामान्य विकास अनुदान हेतु आवेदन करते समय अनुलग्नक 'क' के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किए जायें। सभी चयनित कॉलेजों को केन्द्र के बाहर बोर्ड लिखा होना चाहिए जिस पर बड़े अक्षरों में ''वि0अ0आ0 नेटवर्क संसाधन केन्द्र'' लिखा गया हो।

5. अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया

वि0अ0आ0 द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्रय के लिए वि0अ0आ0 के अनुमोदन उपरांत चयनित कॉलेजों को 90 प्रतिशत अनुदान जारी कर दिया जाएगा। 10 प्रतिशत अनुदान को विहित प्रारूप में विस्तृत सूचना तथा (अनुलग्नक – ख) तथा उपयोग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक – ग) की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।

झ. अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग), तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी अनुशिक्षण

1. प्रस्तावना

शिक्षा का उद्देश्य न केवल पहले से ही किसी व्यक्ति में मौजूद उत्कृष्टता को पोषित करना है बल्कि उसमें कम अनुपात में पहले से मौजूद गुणों का उत्थान करना है ताकि उसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में अपने हितों का सुरक्षण करने के लिए सुसज्जित किया जा सके।

भारत का संविधान अ0जा और अ0ज0जा0 की दो अत्यंत पिछड़े समूह के रुप में पहचान करता है जिन्हें विशेष संरक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ प्रजातंत्र, अल्पसंख्यक समूहों के हितों तथा आवश्यकताओं की रक्षा करने तथा उन्हें पोषित करने की जरूरतों के संबंध में अपेक्षा रखता है।

अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)**/अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों जिन्हें कुशलतापूर्वक उच्च अध्ययन को जारी रखने के लिए आवश्यक स्तर तक खरा उतरने, उनकी असफलता को कम तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए उपचारी अनुशिक्षण की आवश्यकता है उन्हें ऐसा करने हेतु सक्षम बनाने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान नियमित समय सारणी से इतर विशेष कक्षाएँ आयोजित करने के लिए वि0अ0आ0 वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अनुशिक्षण कक्षाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थियों से एक नाम–मात्र शुल्क (जो मासिक टयूशन फीस से अधिक न हो) लिया जा सकता है। तथापि, शारीरिक रुप से विकलांग तथा सामान्य श्रेणी के छात्र, जो गरीबी रेखा से नीचे की आय वाले परिवारों से आते हैं (राज्य/स0रा0क्षे0/केन्द्र सरकार द्वारा यथा नियंत्रित) उन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।

2. उद्देश्य

उपचारी अनुशिक्षण स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नवत के मद्देनजर आयोजित की जाएगी :–

(i) विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल तथा भाषाई निपुणता में सुधार करना।

(ii) आगे के अकादमिक कार्य के लिए सुदृढ़ बुनियाद प्रदान करने के उद्देश्य से मूलभूत विषयों के बोध के स्तर में सुधार करना।

(iii) उन विषयों में उनके ज्ञान–कौशल तथा आचार–व्यवहार को सुदृढ़ करना जहाँ गुणात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक तथा प्रयोगशाला क्रियाकलाप शामिल हैं ताकि कार्यक्रम के तहत प्रदान किये गये उचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण हेतु

छात्र को उस आवश्यक स्तर तक लाने में सक्षम बना सके जिससे वह कुशलतापूर्वक उच्च अध्ययन को जारी रख सके।

3. पात्रता

वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर किए गए कॉलेज जिसमें अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)**/अल्पसंख्यक समुदायों के कम से कम 100 छात्र हों, उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है।

4. सहायता का स्वरूप :

अनावर्ती मदें – **जो निम्नवत से अधिक न हो।**

(i) उपस्कर – **3.00 लाख रुपये**

(ii) पुस्तकें और जर्नल तथा अध्ययन सामग्री – **2.00 लाख रुपये**

आवर्ती मदें – जो योजना अवधि के लिए **10.00 लाख रुपये से अधिक न हो।**

- **पारिश्रमिक**

जब वास्तविक रुप से उपचारी अनुशिक्षण आयोजित किया जा रहा हो तब समन्वयक को प्रतिमाह 1000/– रुपये की दर से मानदेय तथा तैयारी करने के लिए आयोजन की तैयारी हेतु एक और माह का मानदेय, परन्तु यह 12000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, दिया जा सकता है।

सिद्धांतिक शिक्षण कक्षाएँ :

सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित शिक्षकों को एक विषय के लिए 250/–रुपये प्रति घंटा प्रति विषय।

स्नातकोत्तर/अनुसंधान स्कॉलरों को 150/– प्रति घंटा विषय।

व्यावहारिक शिक्षण हेतु ;

75 रुपये प्रति घंटा

- तथापि, विशिष्ट मामलों में जहाँ विशेष लेक्चर हेतु एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को आमंत्रित किया जाता है तो संस्थान के मुखिया के अनुमोदन से प्रति लेक्चर 500/– रुपये का पारिश्रमिक तथा अनुमेय यात्रा भत्ता प्रदान किया जा सकता है।

- अंशकालिक अवर श्रेणी लिपिक जिसे कम्प्यूटर का ज्ञान हो उसे 18000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक का भुगतान।

- आकस्मिता :

  10000/– रुपये प्रतिवर्ष

  जैसा कि विशेषज्ञ समिति के प्रस्ताव तथा सिफारिशों से स्पष्ट है कि आवंटित की जाने वाली अंतिम अनुदान की राशि नामांकित छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

5. अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया

अनावर्ती अनुदान का शतप्रतिशत तथा आवर्ती अनुदान का 20 प्रतिशत अनुमोदन उपरांत जारी कर दिया जाएगा। आगे के अनुदान को पूर्व में दिए गए अनुदान के आधार पर जारी किया जाएगा।

6. निगरानी

कार्यक्रम का समन्वयक, संस्थागत स्तर पर योजना के तहत कार्य का पर्यवेक्षण करेगा। विभिन्न विषयों के लिए पृथक रजिस्टरों का रखरखाव किया जा सकता है। प्रत्येक अकादमिक वर्ष की समाप्ति पर, समन्वयक, प्राचार्य के माध्यम से एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का निष्पादन दर्शाया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नवत् दर्शाया जाना चाहिए :

(i) अवधि जिसके लिए अनुशिक्षण आयोजित किया गया था, कक्षाएँ/पीरीयड तथा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में कार्यक्रम में भाग लिया।

(ii) विषय जो उन्हें पढ़ाने गए, शिक्षकों का नाम तथा उनके विषय।

(iii) अभ्यर्थियों की संख्या जो वास्तव में परीक्षा में बैठे।

(iv) प्रत्येक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या।

(v) योजना के कार्यान्वयन में कॉलेज द्वारा झेली जा रही समस्याएँ।

(vi) समन्वयक की समग्र टिप्पणियाँ।

ञ. अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए नेट/सेट अनुशिक्षण

1. प्रस्तावना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ''समग्रता'' के साथ–साथ सभी के लिए समान पहुँच उपलब्ध कराना है। तथापि, नामांकन दर की समीक्षा से विभिन्न प्रकार की विषमताओं – ग्रामीण–शहरी, अंतर्राज्यीय, अंतर–जातीय, अंतर–धर्म, लिंग, आर्थिक तथा व्यावसायिक का खुलासा होता है। तृतीयक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा कुछ धार्मिक समूहों के मामले में राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। यह महत्वपूर्ण है कि योजनाओं का इस प्रकार विकास किया जाए जिससे अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)**/अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँच को तीव्र दर से सुधारा जा सके ताकि नामांकन दर में अंतर को (राष्ट्रीय औसत के साथ) कम किया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि छात्र न केवल उच्च शिक्षा को पूरा करे बल्कि शिक्षण को वृत्तिका के रुप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे उनके समूह में अन्य लोगों के लिए वे आदर्श बन सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकाधिक अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)** के अभ्यर्थी तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थी शिक्षण से जुड़े पदों हेतु आवेदन करने के पात्र हों, इसलिए, वि0अ0आ0 ग्यारहवीं योजना के दौरान लेक्चरारों हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के लिए तैयारी करने के लिए अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा अल्पसंख्यक समुदायों हेतु अनुशिक्षण योजना चलाता रहेगा। अ0पि0व0, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति भी इस अनुशिक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

2. उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य अ0जा0/अ0ज0जा0 अभ्यर्थियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से अभ्यर्थियों को नेट या सेट की परीक्षा देने के लिए तैयार करना है ताकि इन समूहों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी विश्वविद्यालय प्रणाली में चयन हेतु उपलब्ध हो सकें।

3. अर्हता

स्नातकोत्तर विभाग तथा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर किए गए कॉलेज जिनमें अ0जा0/अ0ज0जा0/ अल्पसंख्यक समुदायों के कम से कम 50 छात्र हो, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु उन पर विचार किया जाएगा।

4. सहायता का स्वरूप

अनावर्ती मदें – **निम्नवत से अधिक न हो :**

(i) उपस्कर – 2.50 लाख रुपये

(ii) पुस्तकें, जर्नल तथा अध्ययन सामग्री – 1.00 लाख रुपये

आवर्ती मदें – योजना अवधि के लिए **7.5 लाख रुपये से अधिक न हो।**

- पारिश्रमिक

- समन्वयक को प्रतिमाह 1000/– रुपये की दर से मानदेय (उन माह के लिए लागू जहाँ वास्तव में अनुशिक्षण किया जा रहा है तथा तैयारी करने/आयोजन करने के लिए एक और माह का मानदेय दिया जाएगा परन्तु यह 12000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो)।

- रिसोर्स व्यक्तियों, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की मेहमान नवाजी हेतु 1000/– रुपये प्रति दिवस का मानदेय, यात्रा भत्ता।

- कॉलेज के शिक्षकों के लिए 250/– रुपये प्रति घंटा प्रति विषय।

- कम्प्यूटर ज्ञान वाले अंशकालीन अवर श्रेणी लिपिक को 18000/– रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक भुगतान।

- आकस्मिता :

  10000/– रुपये प्रतिवर्ष

आवंटित किए जाने वाली अंतिम अनुदान राशि, नामांकित छात्रों की संख्या जो कि विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों तथा सिफारिशों से स्पष्ट है, पर निर्भर करेगी।

5. अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया

अनावर्ती अनुदान का शतप्रतिशत तथा आवर्ती अनुदान का 20 प्रतिशत अनुमोदन उपरांत जारी कर दिया जाएगा। आगे के अनुदान को पूर्व में दिए गए अनुदान के आधार पर जारी किया जाएगा।

6. निगरानी

कार्यक्रम का समन्वयक संस्थागत स्तर पर योजना के तहत कार्य का पर्यवेक्षण करेगा। विभिन्न विषयों के लिए पृथक रजिस्टरों का रखरखाव किया जा सकता है।

कार्यक्रम के तीसरे वर्ष के अंत में समन्वयक, प्राचार्य के माध्यम से एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का निष्पादन दर्शाया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नवत दर्शाया जाना चाहिए।

(i) अवधि जिसके लिए अनुशिक्षण आयोजित किया गया था, कक्षाएँ/पीरीयड तथा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने ने वास्तव में कार्यक्रम में भाग लिया।

(ii) विषय जो उन्हें पढ़ाये गए, शिक्षकों तथा रिसोर्स व्यक्तियों का नाम तथा उनके विषय।

(iii) अभ्यर्थी जिन्होंने वास्तव में नेट/सेट परीक्षा दी।

(iv) सफल अभ्यर्थियों की संख्या।

(v) योजना के कार्यान्वयन में कॉलेज द्वारा सामना की गई समस्याएँ।

(vi) समन्वयक की समग्र टिप्पणियाँ।

ट. अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ।

1. प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों (अ0जा0)/अनुसूचित जनजातियों (अ0ज0जा0) तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण तथा विकास प्रजातांत्रिक समाज की सुदृढ़ता तथा विकास के महत्वपूर्ण सूचक हैं। इन समूहों की स्थिति में सामाजिक और शैक्षणिक रुप से सुधार करने के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए हैं ताकि उन्हें समाज में उनका उचित स्थान मिल सके। इन समूहों का अखिल भारतीय/राज्य/प्रांतीय सेवाओं तथा निजी क्षेत्र में

समकक्ष पद पर प्रतिनिधित्व इस बात का सूचक है कि देश उनके कल्याण में कितना सफल रहा है ताकि वे अपने हितों सुरक्षण कर पाने की स्थिति में हों।

अ0जा0/अ0ज0जा0/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को केन्द्रीय तथा उपरोक्त सेवाओं में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वि0अ0आ0 ग्यारहवीं योजना के अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों को सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने की योजना जारी रखेगा।

2. उद्देश्य

अनुशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समूह 'क', 'ख' और 'ग' केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं तथा निजी क्षेत्र में समकक्ष पदों पर लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु तैयार करना है।

योजना के तहत अनुशिक्षण सेवाओं में चयन हेतु आयोजित विशिष्ट परीक्षान्मुखी होना चाहिए जैसे भा0प्र0से0, राज्य लोक सेवा, बैंकों में भर्ती आदि।

एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशिक्षण सकेन्द्रित होना चाहिए। कॉलेज अपने प्रचालन के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए रोजगार सूचना प्रकोष्ठ का विकास कर सकता है।

3. अर्हता :

वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर किए गए कॉलेज जिनमें अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कम से कम 100 छात्र हैं इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा शारीरिक रुप से विकलांग छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देकर आवेदन मंगवाएँ जा सकते हैं ताकि कॉलेज में न पढ़ने वाले छात्रों को भी कवर किया जा सके। अभ्यर्थियों को 25 छात्रों से अनधिक समूह में बाँट कर अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

4. सहायता का स्वरूप :

अनावर्ती मदें – **निम्नवत से अधिक न हो**

(i) उपस्कर – 3.00 लाख रुपये।

(ii) पुस्तकें तथा जर्नल और अध्ययन सामग्री – 2.00 लाख रुपये।

आवर्ती मदें – योजना अवधि के लिए **10.00 लाख रुपये से अधिक न हो** ।

- पारिश्रमिक

- समन्वयक को प्रतिमाह 1000/– रुपये की दर से मानदेय (उन माह के लिए लागू जहाँ वास्तव में अनुशिक्षण दिया जा रहा है तथा तैयारी करने/आयोजन करने के लिए एक और माह का मानदेय दिया जाएगा परन्तु यह 12000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो)।

- रिसोर्स व्यक्ति को 500/– रुपये प्रति लेक्चर की दर से मानदेय (लेक्चर की अवधि साठ मिनट से कम नहीं होनी चाहिए)।

- रिसोर्स व्यक्ति को कॉलेज के बाहर यात्रा हेतु यात्रा व्यय।

- दूसरे स्टेशनों से आने वाले रिसोर्स व्यक्तियों की मेहमान–नवाजी।

- कम्प्यूटर ज्ञान वाले अंशकालीन अवर श्रेणी लिपिक को भुगतान 18000/– प्रतिवर्ष से अधिक नहीं किया जाना चाहिए।

- आकस्मिता : 10000/– रुपये प्रतिवर्ष

आवंटित किए जाने वाली अंतिम अनुदान राशि, **नामांकित छात्रों की संख्या जो कि विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों तथा सिफारिशों से स्पष्ट है,** पर निर्भर करेगी।

5. अनुदान जारी किएजाने की प्रक्रिया

अनावर्ती अनुदान का शतप्रतिशत तथा आवर्ती अनुदान का 20 प्रतिशत अनुमोदन उपरांत जारी कर दिया जाएगा। आगे के अनुदान को पूर्व में दिए गए अनुदान के आधार पर जारी किया जाएगा।

6. निगरानी

कार्यक्रम का समन्वयक संस्थागत स्तर पर योजना के तहत कार्य का पर्यवेक्षण करेगा। विभिन्न विषयों के लिए पृथक रजिस्टरों का रखरखाव किया जा सकता है। कार्यक्रम के तीसरे वर्ष के अंत में समन्वयक, प्राचार्य के माध्यम से एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का निष्पादन दर्शाया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नवत दर्शाया जाना चाहिए।

(i) अवधि जिसके लिए अनुशिक्षण आयोजित किया गया था, कक्षाएँ/पीरीयड तथा अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने ने वास्तव में कार्यक्रम में भाग लिया।

(ii) विषय जो उन्हें पढ़ाये गए, शिक्षकों तथा रिसोर्स व्यक्तियों का नाम तथा उनके विषय।

(iii) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में प्रतियोगी परीक्षओं में भाग लिया।

(iv) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें नौकरियाँ प्राप्त हुई।

(v) योजना के कार्यान्वयन में कॉलेज ने किन समस्याओं का सामना किया।

(vi) समन्वयक की समग्र टिप्पणियाँ ।

अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी अनुशिक्षण, अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के लिए नेट अनुशिक्षण, अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाओं के लिए व्यय विवरण तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा संलग्न (संलग्नक–घ) है।

ठ. निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएँ

(i) विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)

1. प्रस्तावना

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(वि0अ0आ0) देश में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को सहायता देता है ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष शिक्षा गतिविधियों में शामिल किया जा सके।

वि0अ0आ0 ने विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों (निशक्त व्यक्तियों) (एच.ई.पी. एस.एन.) के लिए उच्च शिक्षा हेतु नौवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सहायता प्रदान करने की योजना आरंभ की थी जोकि दसवीं योजना में भी जारी रही। उच्च शिक्षा संस्थानों में निशक्त व्यक्तियों के लिए अवसंरचना प्रदान करने की आवश्यकता के मद्देनजर, योजना को ग्यारहवीं योजना में भी बढ़ाया गया है। योजना का ब्यौरा निम्नवत है:–

एच.ई.पी.एस.एन. योजना का उद्देश्य मूल रुप से उच्च शिक्षा संस्थानों में एक वातावरण तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों उच्च शिक्षा अनुभव को अधिक सम्पन्न बनाया जा सके। निःशक्त व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहँच में सुधार करने के उद्देश्य से निर्माण करना, ज्ञान अर्जन को अधिक सम्पन्न बनाने के लिए उपस्करों का क्रय करना आदि इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियाँ हैं।

एच.ई.पी.एस.एन. के विशिष्ट उद्देश्य :

एच.ई.पी.एस.एन. योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत हैं :–

1. उच्च शिक्षा संस्थानों में निशक्त व्यक्तियों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना।

2. निशक्त व्यक्तियों की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं के बारे में उच्च शिक्षा के अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना।

3. उच्च शिक्षा संस्थानों को सुविधाओं से सुसज्जित करना ताकि वहाँ निशक्त व्यक्तियों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

4. उच्च शिक्षा संस्थानों को विशेष उपकरण मुहैया कराना जो निशक्त व्यक्तियों के ज्ञान अर्जन दक्षता में वृद्धि की जा सके।

5. निशक्त व्यक्तियों की उच्च शिक्षा के संबंध में सभी मौजूदा और भावी विधान तथा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अर्हता

उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एच.ई.पी.एस.एन. योजना के तहत निम्नवत शर्ते पूरी करने पर सहायता प्रदान की जाएगी।

1. योजना के किसी भी एक घटक के लिए अनुदान हेतु आवेदन करने वाले कॉलेज में कम से कम 10 निशक्त व्यक्ति संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित होने चाहिए जिसमें दृष्टि बाधित, बधिर तथा पंगु आदि शामिल हो सकते हैं। निशक्तता की परिभाषा, निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में दी गई परिभाषा के अनुसार है।

2. योजना के लिए आवेदन करने वाले संस्थान को वि0अ0आ0 द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के तहत अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

3. कॉलेज को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा स्वयं निशक्त व्यक्ति होने चाहिए। संबंधित योजनाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की निगरानी करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

सुविधाओं का उपबंध तथा वित्तीय सहायता

एच.ई.पी.एस.एन. योजना के तीन घटक हैं। जिनका ब्यौरा निम्नवत है :–

घटक – 1

निशक्त व्यक्तियों के लियें सक्षमकारी इकाईयों की स्थापना :

उच्च शिक्षा तंत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा निशक्त व्यक्तियों को आवश्यक मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए देश के कॉलेजों में संसाधन इकाईयाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें सक्षमकारी इकाईयाँ कहा जाएगा। इन सक्षमकारी इकाईयों के कार्यकरण निम्नवत होंगे :–

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में निशक्त व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना।

2. निशक्त व्यक्तियों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना।

3. निशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में तथा उनके ज्ञान अर्जन के संबंध में अन्य सामान्य मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

4. निशक्त स्नातकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त करना।

विशेष इकाई का संकाय सदस्य द्वारा समन्वय किया जाएगा जिसे संस्थान के मुखिया द्वारा नामित किया जाएगा। वह अवैतनिक समन्वयक के रुप में कार्य करेगा जिसके लिए प्रतिमाह 4000/– रुपये के सांकेतिक मानेदय का भुगतान किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन, लेखन सामग्री, आकस्मिता, जागरूकता कार्यक्रम तथा परामर्शदात्री सत्र आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु इकाई का सालाना 50,000/– रुपये का बजट है ताकि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्यकुशल और स्वतंत्र कार्यकरण किया जा सके।

सक्षमकारी इकाई के निम्नवत मुख्य कार्यकरण होंगे :–

(क) उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन किए जा सकने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकारों के संबंध में निशक्त छात्रों को परामर्श प्रदान करना।

(ख) मुक्त कोटा तथा साथी ही उनके लिए आरक्षण के माध्यम से जितने अधिक विकलांग व्यक्तियों को हो सके दाखिला उपलब्ध कराना।

(ग) निशक्त व्यक्तियों के संबंध में शुल्क छूट, परीक्षा प्रक्रियाओं, आरक्षण नीतियों आदि के संबंध में आदेश एकत्रित करना।

(घ) उच्च शिक्षा में नामांकित निशक्त व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा जिससे खरीदे जाने वाले सहायक उपकरणों का पता लगाया जा सके।

(ड़) संस्थान के शिक्षकों के लिए शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं आदि के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, निशक्त छात्रों के मामले में जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

(च) संस्थान में तथा आस–पड़ोस में विकलांगता के संबंध में महत्वपूर्ण दिवसों को मनाना जैसे विश्व विकलांगता दिवस, व्हाईट केन डे आदि ताकि विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

(छ) एच.इ.पी.एस.एन. योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थान में खरीदे गए विशेष सहायता प्रदान करने वाले उपकरणों की मरम्मत सुनिश्चित करना तथा विकलांग व्यक्तियों और उनकी ज्ञान अर्जन दक्षता को अधिक सम्पन्न बनाने के लिए उनका उपयोग करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना।

(ज) उच्च शिक्षा संस्थानों को सस्वीकृत एच.इ.पी.एस.एन. योजना द्वारा लाभान्वित निशक्त व्यक्तियों के व्यक्तिवृत सहित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ दल सक्षमकारी इकाईयों का समय–समय पर मूल्यांकन करेंगे ताकि निशक्त व्यक्तियों के प्रति उनकी सेवाओं में अभिवृद्धि की जा सके।

घटक – 2

निशक्त व्यक्तियों को पहुँच प्रदान करना

यह महसूस किया गया कि निशक्त व्यक्ति को चलने फिरने तथा स्वतंत्र कार्य करने के लिए परिवेश में विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। यह भी सत्य है कि अनेक संस्थानों में वास्तुशिल्प संबंधी अवरोध होते हैं जिससे निशक्त व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यकलाप करने में समस्या का सामना करना पड़ता है।

इस योजना के तहत कॉलेजों से निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में निहित शर्तों के अनुसार पहुँच संबंधित मुद्दों का हल ढूंढने की आशा की जाती है तथा यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि सभी मौजूदा ढाँचे तथा साथही उनके कैम्पसों में भावी निर्माण परियोजनाओं को विकलांग अनुकूल बनाया जाए।

संस्थानों को विशेष सुविधाओं का सृजन करना चाहिए जैसे रैम्प, रेलिंग तथा विशेष शौचालय तथा निशक्त व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के मुताबिक अन्य

आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, वि0अ0आ0 परियोजना अवधि के दौरान प्रति कॉलेज 5.00 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान प्रदान करेगा। निर्माण योजना में निशक्तता के संबंध में पहुँच संबंधी मुद्दों का स्पष्ट समाधान होना चाहिए। निर्माण संबंधी मामले में मुख्य निशक्तता आयुक्त के कार्यालय, भारत सरकार (वेबसाईट www.ccdisabilities.nic.in) द्वारा निर्धारित पहुँच संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए तथा परिवेश को निशक्तता अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

घटक – 3

निशक्त व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक सेवाओं में अभिवृद्धि करने के लिए विशेष उपस्कर उपलब्ध कराना।

निशक्त व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यकरण के लिए विशेष सहायता तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह सहायक उपकरण सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है। इन योजनाओं के माध्यम से सहायक उपकरणों की खरीद के अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च शिक्षा के लिए नामांकित विकलांग छात्रों के लिए विशेष ज्ञान अर्जन तथा निर्धारण उपकरणों की भी आवश्यकता भी हो सकती है। साथ ही दृष्टि बाधित छात्रों को रीडरों की आवश्यकता होती है।

संस्थान में उपकरण जैसे स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर, लो–विजन एड, स्कैनर, मोबिलिटी डिवाईसिज आदि की उपलब्धता, निशक्त व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक अनुभव को अधिक सुखद बना देगा। इसलिए, कॉलेजों को इस प्रकार के उपकरण खरीदने तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रीडरों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। वि0अ0आ0 ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रति कॉलेज 1.5 लाख रुपये का एक मुश्त तदर्थ अनुदान प्रदान करेगा।

योजना के लिए किस प्रकार आवेदन किया जाए

1. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आवेदन को कॉलेज विकास प्रस्ताव सहित विहित प्रोफार्मा में भेजा जाना चाहिए।

<u>अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया</u>

1. **प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् समन्वयक को प्रथम वर्ष के लिए 50,000 रुपये की दर से मानदेय जारी किया जाएगा। उत्तरवर्ती अनुदानों को लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र तथा व्यय विवरण के आधार पर जारी किया जाएगा।**

2. **वि0अ0आ0 के भवन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत योजना तथा अनुमान की प्राप्ति पर अनुदान जारी किया जाएगा।**

3. **आबंटित व अनुदान के 90 प्रतिशत को पहली किशत के रुप में जारी किया जाएगा तथा शेष 10 प्रतिशत को लेखापरीक्षित व्यय विवरण तथा उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी किया जाएगा।**

विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों (एच.इ.पी.एस.एन.) के लिए उच्च शिक्षा को सुकर बनाने हेतु कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोफार्मा।

भरे हुए प्रोफार्मा को वि0अ0आ0/एन.आर.सी.बी. उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

1. कॉलेज का नाम और पता
2. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम

3. स्थापना का वर्ष

4. क्या संस्थान वि0अ0आ0 अधिनियम धारा 2(च) और 12(ख) के तहत आता है?

5. निशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कॉलेज द्वारा वर्तमान में दी जा रही सेवाओं का स्वरूप क्या है?

6. वर्तमान में कॉलेज में कितने निशक्त व्यक्ति नामांकित हैं?

7. एच.इ.पी.एस.एन. के घटकों के नाम जिनके लिए वि0अ0आ0 से सहायता माँगी गई है?

8. योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा?

9. प्रस्ताव के समर्थन में कोई अन्य संगत सूचना।

दिनांक .....

कॉलेज के प्रभारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

(मुहर सहित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वि0अ0आ0 द्वारा इसके दिनांक ..... के पत्रांक सं. ..... के माध्यम से .....के लिए ..... की योजना के तहत कुल .....रुपये (रुपये .....) की अनुदान राशि का उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा इसका आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो आपत्तिजनक राशि के प्रतिदाय समायोजन या उसे विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

कार्यक्रम के समन्वयन/
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

व्यय विवरण

संस्थान का नाम————————————————————————————

आवंटन पत्र सं0 तथा दिनांक ————————————————————————

सस्वीकृति पत्र सं0 तथा दिनांक————————————————————————

अनावर्ती (एक मुश्त)

मद	आबंटित अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	किया गया व्यय

आवर्ती

मद	आबंटित अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	वर्ष चार किया गया व्यय (1 अप्रैल से 31 मार्च तक)

निशक्तता इकाई के मामले में, संस्थान को निम्नलिखित सूचना भेजनी चाहिए :

1. समन्वयक के रुप में नियुक्त व्यक्ति की कार्यग्रहण रिपोर्ट
2. प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया माहवार मानदेय
3. जागरूकता कार्यक्रम तथा लेखन सामग्री/आकस्मिता पर किए गए व्यय का पृथक ब्यौरा।

समन्वयक के हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

(ii) ग्यारहवीं योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों को वित्तीय सहायता

1. प्रस्तावना

योजनाओं को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए रीडर की सहायता से तथा रीडर भत्ता प्रदान की तथा ब्रेल पुस्तकें तथा रिकार्डिड सामग्री आदि को क्रय करने के लिए निधियाँ उपलब्ध करवाकर शिक्षण तथा अनुसंधान को जारी रखने के लिए तैयार किया गया है।

2. उद्देश्य

दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा अनुसंधान में विभिन्न सहायक उपकरणों की मदद से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना है।

3. अर्हता/लक्ष्य समूह

सभी दृष्टिबाधित शिक्षक जो भारत के कॉलेजों में कार्यरत हैं, जिन्हें वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत शामिल किया गया है, तथा इस योजना के तहत कवर किया गया है।

4. सहायता का स्वरूप

दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को **12,000/– रुपये प्रतिमाह** की दर से भत्ता दिया जाएगा। राशि को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा :–

(क) रीडरों को भुगतान

(ख) ब्रेल पुस्तकों/सामग्री के क्रय के लिए

(ग) रिकार्ड की गई सामग्री का क्रय

(घ) कोई अन्य संबद्ध/अपेक्षित सामग्री/अनुसंधान, शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के लिए उपस्कर।

रीडर को भुगतान की जाने वाली राशि 50 रुपये प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। **रीडर द्वारा वास्तविक राशि की प्राप्ति पर कॉलेज दृष्टिबाधित शिक्षक को इस राशि तथा 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन दृष्टिबाधित शिक्षक द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। तथापि, इन्हें वि0अ0आ0 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। स्कीम का अंत योजना अवधि की समाप्ति के साथ ही हो जाएगा।**

5. आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रस्ताव को ग्यारहवीं योजना सामान्य विकास अनुदान के साथ वि0अ0आ0 के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/एन.आर.सी.बी. को सीधे ही भेजा जा सकता है जिसमें संस्थान में सभी दृष्टिबाधित शिक्षकों की समेकित सूची दर्शायी गई हो।

6. वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

वि0अ0आ0 अपने स्वयं के स्तर पर प्रस्ताव का विश्लेषण करेगा व उसे अनुमोदित करेगा। एक बार प्रस्ताव अनुमोदित होने पर, ग्राह्य अनुदान की पहली किश्त, वि0अ0आ0 द्वारा जारी कर दी जाएगी।

7. वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान को जारी किया जाना

पहली किश्त को अनुमोदन पत्र के साथ ही जारी कर दिया जाएगा। तथापि, उत्तरवर्ती किश्तों को भुगतान पिछले अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र तथा पिछले वर्ष में किए गए व्यय के विवरण दोनों की प्राप्ति पर किया जाएगा। दृष्टिबाधित शिक्षकों के संबंध में ब्यौरे को भी इसके साथ संलग्न किया जाएगा।

8. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

विहित प्ररूप संलग्न है, कॉलेजों से अनुरोध है कि वे केवल विहित प्ररूप में ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ड़) कॉलेजों में वृत्ति और परामर्शदाता प्रकोष्ठ

1. प्रस्तावना

कॉलेजों में वृत्ति और परामर्शदाता प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना को कॉलेज आने वाले छात्रों को विषमजातीय जनसंख्या के विविध सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि के समक्ष उचित संस्थागत सहायता सूचना की उपलब्धता के माध्यम से समान रुप से पहुँच तथा रोजगार के अवसरों की समस्या से निपटने के लिए किया गया है। छात्रों के बीच भाषायी तथा सांस्कृतिक अंतर भी रोजगार प्रकोष्ठ (प्लेसमेंट सैल) की स्थापना के पीछे एक कारण है। संगत एवं सुलभ सूचना तथा इसे उपयोग करने का पेशेवर मार्गदर्शन कक्षाओं से इतर बेहतर वृत्ति संबंधी उपलब्धि में परिणत हो सकता है तथा छात्र के स्वस्थ विकास में मददगार हो सकता है।

प्रत्येक कॉलेज में पाठ्यचर्या संबंधी सूचना महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यचर्या के संबंध में संगत सूचना तथा संयोजनो की पेशकश तथा चयन की स्वतंत्रता सामान्यतः उपलब्ध होती है तथा सहायता सेवा के रुप में अनौपचारिक रुप से परामर्श दिया जाता है। परम्परागत सूचना तंत्र में विवरणिका की एक प्रति शामिल होती है जिसमें पाठ्यचर्या तथा संयोजनों, प्रवेश नियमों, शुल्क ढाँचे, परीक्षा अनुसूची आदि को नेमी, पुनरावृत रुप से वर्ष दर वर्ष दिया जाता हे। परन्तु अब परिदृश्य में बदलाव के साथ–साथ, न केवल अकादमिक अंतर्वस्तु तथा इसके नियम बाजार की आवश्यकताओं के प्रति उन्मुखी हो गए हैं परन्तु शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विषमताओं तथा वृत्ति के अवसर की समस्याओं को भी दूर करना है। परम्परागत सूचना तंत्र को अब सक्रिय मार्गदर्शन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना बनाना होगा

तथा सूचना प्रौद्योगिकी जो कि अब प्रिंट मीडिया का तेजी से स्थान लेती जा रही है, जो सभी संबंधित पक्षों के लाभ के लिए तत्परता से सूचना का ब्यौरा प्राप्त कर सकता है। अब इस सहायता को एक संस्था का रुप देना आवश्यक है ताकि छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों तक पहुँच एवं दायरे को बढ़ाया जा सके तथा उन्हें भावी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए, परामर्शदात्री सेवाओं को एक औपचारिक रुप देने की आवश्यकता है जो छात्रों को उनके सामाजिक संस्था तथा बहिष्कार वाद पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा जिसका कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता तथा भाषायी अवरोध है। वृत्ति तथा परामर्शदात्री सहायता जो एक संस्थान अपने छात्रों को देता है उससे छात्रों में बेहतर निष्पादन करने के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है। इसलिए, परामर्शदात्री सेवा अकादमिक तथा वृत्तिका दोनों साथ ही अवसरों से संबंधित चिंताओं को दूर करता है। बाजार पैर्टन तथा रोजगार प्राप्त करने के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन के अंतर्निवेशन से संस्थान को अपने छात्रों के लिए एक आधार तैयार करने में मदद मिल सकती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक एकीकरण होगा।

वृत्ति तथा परामर्शदात्री प्रकोष्ठ, छात्रों को उचित मार्गदर्शन से कार्य जगत में संपर्क स्थापित करने और उभरते हुए अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक पैटर्नो के संदर्भ में यथार्थ तथा कार्य प्रोफाईलों की तुलना में वृत्ति संबंधी अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा। बाजार माँग के बारे में धारणा तथा व्यक्तिगत अपेक्षाओं के बीच अंतर को मनोवैज्ञानिक तथा विश्वास बहाली के उपायों के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कैम्पस आधारित साक्षात्कार एक सामान्य पद्धति बन गई है। वृत्ति तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ और भर्ती करने वाली ऐजन्सियों और जानी–मानी फर्मों के मानव संसाधन कर्मियों के बीच सक्रिय भागीदारी द्वारा इस पर ध्यान दिया जा सकता है। इनमें से संस्थागत विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों की खोज हेतु अधिक ऑन–साईट अनुभव प्रदान कर सकता है। इस प्रयोग में, संस्थान, सकारात्मक मदद के लिए अपने पूर्व छात्रों को भी शामिल कर सकती हैं। वे छात्रों को अधिक माँग वाले

बाजार क्षेत्र से अवगत कराने तथा उद्योग संस्थागत संपर्क को सक्रिय बनाने के लिए एक वहनीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ कर सकते हैं।

2. उद्देश्य

कॉलेज में अकादमिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ–साथ वृत्ति तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ को अच्छी जानकारी वाले तथा इसमें रुचि रखने वाले शिक्षकों द्वारा चलाया जाना चाहिए। इसे छात्र के 'साफ्ट स्किल' तथा सम्प्रेषण क्षमता का विकास करना होगा ताकि वे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना कर सकें और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ नौकरी पर रखते हुए प्रशिक्षण देना होगा। स्वस्थ अंतर व्यक्ति संबंधों के अग्रेता के रुप में इसे सामाजिक उत्तरदायित्व पूरे करने हेतु सामाजिक मूल्यों तथा स्वतंत्र रुप से विचार करने की क्षमता का सृजन करना होगा। सभागी समूह का सृजन करने के लिए विभिन्न विषयों के साथ तथा रुचि के साथ शिक्षकों का एक समूह तैयार किया जा सकता है जो इस विजन को यथार्थ में बदलने हेतु के लिए संस्थान के लिए अत्यावश्यक कृत्य करे।

कॉलेज में मार्गदर्शन और परामर्शदाता प्रकोष्ठ को सूचना, मार्गदर्शन तथा परामर्श का संसाधन केन्द्र होना चाहिए जिसमें मुक्त पहुँच तथा इंटरनेट आधारित वैश्विक संपर्क और पेशेवर नौकरियों के संबंध में सूचनाओं का आदान–प्रदान होना चाहिए।

<u>वृत्ति तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ के कार्यकरण</u>

(क) विभिन्न संस्थानों तथा कारोबार में कॉलेज द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के संबंध में नौकरियों के अवसर तथा नियोजन के बारे में सूचना एकत्रित करना।

(ख) स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय संदर्भ में सूचना का विश्लेषण करना ताकि छात्रों को उनके नियोजन तथा नौकरी पर रहते हुए प्रशिक्षण में इसकी तर्कसंगतता तथा उपयोग का पता लगाया जा सके।

(ग) छात्रों जो उभरते हुए पेशेवर रूझानों तथा घटनाओं, नौकरी के प्रोफाईल, नेतृत्व भूमिकाएँ, उद्यमिता, बाजार की आवश्यकताएँ तथा जोखिम और राष्ट्रीय,

सामाजिक, आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन तथा 'साफ्ट स्किल' में प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए संगोष्ठियाँ तथा मार्गदर्शन कार्यशालाएँ आयोजित करना।

(घ) संकीर्ण प्रांतीय प्राथमिकताएँ और विद्वेष को दूर करने तथा राष्ट्रीय एकता की दिशा में स्वस्थ तथा सकारात्मक दृष्टिकोण तथा अनुशासन का संवर्धन।

3. अर्हता/लक्ष्य समूह

योजना के तहत वित्तीय सहायता ऐसे कॉलेजों को प्रदान की जाएगी जो धारा 2(च) के तहत संस्थानों की अनुरक्षित सूची में शामिल हैं तथा वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत वि0अ0आ0 सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। विलय की गई योजनाओं के भाग के रुप मे सामान्य विकास अनुदान हेतु विहित प्रोफार्मा में आवेदन (अनुलग्नक–ड़) किया जाना चाहिए।

योजना के तहत उपलब्ध सहायता का स्वरूप और स्तर

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, योजना के तहत निम्नवत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है :–

(i) अनावर्ती : 2.00 लाख रुपये	(योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान इंटरनेट सहित कम्प्यूटर), लेजर प्रिंटर, फोटोकापियर, फैक्स।
(ii)अनावर्ती : 2.00 लाख रुपये	(i) (योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान इंटरनेट सहित कम्प्यूटर), लेजर प्रिंटर, फोटोकापियर, फैक्स।

नोट : योजना के तहत किसी भी नियमित शिक्षण या गैर–शिक्षण पद का सृजन या उसके वित्त पोषण की अनुमति नहीं है।

प्रथम वर्ष के लिए शतप्रतिशत अनावर्ती अनुदान तथा आवर्ती अनुदान को वि0अ0आ0 द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ ही जारी किया जाएगा। तत्पश्चात् अनुदान को उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति तथा आयोग द्वारा विचार के आधार पर जारी किया जाएगा।

<u>योजना की प्रगति की निगरानी की प्रक्रिया</u>:

प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में, समन्वयक/प्रकोष्ठ का प्रभारी वि0अ0आ0 को प्राचार्य द्वारा विधिवत रुप से हस्ताक्षरित एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आंकड़ों का समेकित विवरण, की गई प्रगति तथा प्रकोष्ठ द्वारा यदि किसी समस्या का सामना किया गया तो उसका विवरण दिया जाएगा। कॉलेज वि0अ0आ0 को प्रत्येक वर्ष के अंत में प्ररुप के अनुसार 'अनुलग्नक–च' में मदवार व्यय विवरण तथा लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र भेजेगा।

(ढ़) कॉलेजों में समान अवसर केन्द्र

1. प्रस्तावना

भारत एक विविधता का देश है। यह विभिन्न धर्मों, जातियों तथा संस्कृतियों का केन्द्र है। तथापि, सामाजिक स्तरीकरण की एक अत्यधिक संस्थापित प्रणाली, भारतीय समाज की विशेषता है। इन सामाजिक असमानताओं ने समाज के वंचित वर्गों को भौतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच में अवरोध उत्पन्न किए। यह वंचित वर्ग हैं अ0जा0,

अ0ज0जा0 तथा शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति। यह जनसांख्यिकीय कारकों से स्पष्ट है कि हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी वंचित और हाशिये पर है।

कठोर जाति व्यवस्था ने अ0जा0 को जबरन सामाजिक रुप से वंचित कर दिया जिससे वे प्रतिफल पर बिना किसी दावे के सेवाएँ देते रहें। गरिमा, पहचान तथा अधिकारों से वचन के परिणामस्वरूप उनके साथ अमानवीय व्यवहार तथा अपमान हुआ। अ0ज0जा0 की दुख–तकलीफ अ0जा0 से भिन्न नहीं थी। अ0ज0जा0 विविक्त, उपेक्षित तथा शोषित थे। आज भी अ0जा0 तथा अ0ज0जा0 सामाजिक अशक्तता का शिकार हैं।

महिलाएँ, जो भारतीय समाज के पिछली परम्पराओं तथा रीति–रिवाजों की शिकार हैं, उन्हें असमान और हीन समझा जाता था। आज भी महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। चूँकि यह माना जाता है कि लिंग, भेद, गंभीर सामाजिक असंतुलन पैदा करता है, पहले से चली आ रही इन विकृतियों को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध सहित अन्य अल्पसंख्यक भारतीय जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति की हाल ही की रिपोर्ट ने स्पष्ट रुप से दर्शाया है कि व्यावहारिक रुप से मुस्लिम समुदाय में विकास के आयामों में कमी और वंचन दिखाई देता है। कुछ भिन्नता के साथ यह अन्य अल्पसंख्यकों के मामले में भी सत्य है। शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति राष्ट्र के जनसांख्यिकीय ढाँचे में उचित स्थान तथा उचित ध्यान दिए जाने के हकदार हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए संसद ने एक अधिनियम नामतः निःश्क्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पारित किया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत, राष्ट्र ने सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने का सचेतन निर्णय लिया, सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न उपबंध किए गए। हमारे संविधान ने शिक्षा के एक मुख्य उद्देश्य को लेकर लोकतंत्र की स्थापना की तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा के जनतांत्रिक विस्तार की पूर्वापेक्षा की।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल एक तिहाई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर पाई है तथा शेष जनसंख्या के हितों की अनदेखी की गई है। निसंदेह, ऐतिहासिक रुप से देखा जाए तो शिक्षा समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थी तथा इसने जनसंख्या के बड़े वर्ग को वंचित कर दिया, जिससे पहुँच के मामले में यह अत्यंत अलोकतांत्रिक सिद्ध हुई। शिक्षा में वचन ने निरंतर बढ़ती हुई विषमताओं को जन्म दिया जिसने समाज के वंचित वर्गों पर विपरीत प्रभाव डाला।

चूँकि उच्च शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समानता का एक माध्यम है, वि0अ0आ0 भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से तथा वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाओं का संवर्धन करते हुए गुणवत्ता के मानदण्ड तथा शिक्षा की तर्कसंगतता सुनिश्चित करते हुए पहुँच, समानता की राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करता आया है जिससे सामाजिक विषमताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

भारत मानव संसाधन में अत्यंत समृद्ध है। इसका लाभ उठाने तथा मौजूदा शिक्षा प्रणाली को सर्वांगीण बनाने के लिए उच्च शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की सीमा को बड़े पैमाने पर विस्तार देना होगा। इसके साथी ही कॉलेजों को वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक संवदेनशीन होना चाहिए। इसलिए वि0अ0आ0 ने कॉलेजों में समान अवसर केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

2. लक्ष्य और उद्देश्य

वंचित वर्गों के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन की निगरानी करना, अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक तथा अन्य मामले के संबंध में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करना तथा कैम्पस के भीतर विविधता को बढ़ाना।

3. कार्यकरण

(i) कॉलेज में बृहद रुप से समुदाय के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करना तथा सामाजिक समग्रता लाना।

(ii) छात्रों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टॉफ के बीच विविधता में वृद्धि करना तथा वहीं उनके बीच भेदभाव समाप्त करना।

(iii) अकादमिक अन्योन्यक्रिया तथा विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों के बीच स्वस्थ अंतरपारस्परिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रुप से सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना।

(iv) सामाजिक बहिष्कार तथा साथ ही हाशिये पर रहने वाले समुदायों की आकांक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के संबंध में अकादमिक समुदाय को संवेदनशील बनाने में प्रयास करना।

(v) बहिष्कार से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए समाज के वंचित वर्ग के छात्रों या छात्रों के समूहों की मदद करना।

(vi) समाज के कमजोर वर्ग की शिकायतों पर विचार करना तथा उनकी समस्याओं का सौहार्दपूर्ण हल सुझाना।

(vii) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों, साथ ही सरकार या अन्य संबंधित ऐजन्सियों/संगठनों द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/ज्ञापनों, कार्यालय आदेशों से संबंधित सूचना का प्रसार करना।

(viii) समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के दाखिले/पंजीकरण के लिए अवरोध मुक्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को तैयार करना।

(ix) वंचित समूहों के छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी और अन्य ऐजन्सियों/संगठनों द्वारा अकादमिक तथा वित्तीय संसाधन एकत्रित करना।

(x) विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करना।

(xi) ऐसे उपाय अपनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ0जा0/अ0ज0जा0 द्वारा दाखिले, भर्ती (शिक्षण और गैर–शिक्षण) पदों के लिए उनके हिस्से का पूरा उपयोग किया जाए तथा उनके निष्पादन में सुधार किया जाए।

(xii) अ0जा0/अ0ज0जा0 और अन्य वंचित वर्गों की समस्याओं पर कॉलेजों को संवेदनशील बनाना।

4. परामर्शदात्री समिति :

एक परामर्शदात्री समिति होगी जिसका अध्यक्ष प्राचार्य होगा तथा समाज के हाशिये पर रहने वाले समूहों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और साथ ही अ0जा0, अ0ज0जा0, शा0वि0, अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) के लिए दाखिले तथा भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य कोई, यदि कोई हो तो, की समीक्षा के लिए अन्य तीन सदस्य भी होंगे। समिति की चार माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए तथा उत्तरवर्ती बैठकों में निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

प्राचार्य ऐसे एक शिक्षक को परामर्शदाता के रुप में नामित करेगा जिसमें वंचित सामाजिक समूहों के कल्याण के लिए अंतर्निहित रुचि हो।

(क) कॉलेज में परामर्शदाता :

(i) वंचित वर्गों हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार, वि0अ0आ0 तथा किसी अन्य ऐजन्सी/संगठनों द्वारा प्रायोजित या कॉलेज/संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु निगरानी करेगा।

(ii) सामाजिक रुप से वंचित वर्गों की समस्याओं से निपटने के लिए अ0जा0/अ0ज0जा0 प्रकोष्ठ या इस प्रकार के अन्य प्रकोष्ठों/केन्द्रों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) सामाजिक मुद्दों जैसे यौन शोषण के विरूद्ध लिंग संवेदनशीलता समिति (जी.एस.सी.ए.एस.एच.), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) आदि से संबंधित अन्य समितियों/कार्यक्रमों के प्रभारियों के कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए बैठकें आयोजित करना।

(ख) परामर्शदाता प्राचार्य को प्रगति/समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

अ0जा0/अ0ज0जा0 प्रकोष्ठ, उपचारी अनुशिक्षण तथा अन्य योजनाओं/महिलाओं के अध्ययन केन्द्र, जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ आदि के समन्वयक समान अवसर केन्द्र से घनिष्टता से जुड़ेंगे।

5. अर्हता शर्तें

इस योजना के तहत उन सभी कॉलेजों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल किया गया है।

6. सहायता का स्वरूप

जैसा कि निम्नवत दिया गया है, वि0अ0आ0 बैठकें आयोजित करने और परामर्शदाता को मानदेय प्रदान करने के लिए व्यय तथा आकस्मिता व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा :

(i) स्नातकोत्तर तथा स्नातकपूर्व कॉलेजों को क्रमशः 50,000/– तथा 30,000/– रुपये प्रतिवर्ष सहायता। परामर्शदाता को 1,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा।

(ii) नए नामांकित छात्रों के लिए प्रत्येक अकादमिक सत्र के आरंभ में राष्ट्र विकास के लिए अ0जा0 और अ0ज0जा0 हेतु सकारात्मक भेदभाव पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 25,000/– प्रत्येक वर्ष। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने जो भी कुछ सीखा है उसके संबंध में सारांश लिखने को कहा जा सकता है और उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

7. अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया

अनुमोदन उपरांत प्रथम वर्ष का अनुदान जारी किया जाएगा। पहले दिए गए अनुदान के उपयोग के आधार पर ही आगे का अनुदान जारी किया जाएगा।

उन योजनाओं में अनुदान जारी करने की प्रक्रिया जहाँ यह विनिर्दिष्ट नहीं है।

(क) आवंटित अनुदान के 20 प्रतिशत को भवन शीर्ष के अलावा सभी शीर्षों के तहत प्रथम वर्ष में जारी किया जाएगा। अनुवर्ती अनुदानों को लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र तथा व्यय विवरण की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।

(ख) भवन अनुदानों को ग्यारहवीं योजना में निर्धारित भवन दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया जाएगा।

अनुलग्नक–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास के लिए सहायता हेतु कॉलेज का प्रस्ताव

(प्रस्ताव फार्म को भरने से पूर्व कृपया दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़े)

भाग–1 : कॉलेज की अर्हता का पता लगाने के लिए मूलभूत सूचना

(कृपया उन सभी मामलों में संगत कॉलम के समक्ष संलग्नक संख्या दर्शायें जहाँ सूचना अलग से एक पृष्ठ पर दी गई है)

1. (क) कॉलेज का नाम तथा पूरा पता, पिन कोड तथा राज्य ———— दूरभाष नं0—————— एस0टी0डी0 कोड —————— फैक्स नं0 ———— टेलेक्स नं0————ई–मेल आई0डी0————————
   (ख) जिले का नाम जहाँ कॉलेज स्थित है :
   (ग) न्यास/सोसायटी का नाम :

2. **कॉलेज के बैंक का नाम, पता और खाता नं0 (जिसके तहत वि0अ0आ0 की निधियों का लेन–देन किया जाना है)**

3. विश्वविद्यालय जिससे सम्बद्ध है :————————————————————————
4. (i) स्थापना की तिथि————————————————————————————
   (ii) सम्बद्ध होने की तिथि (स्थायी) :————————————————————
   (iii) यदि अस्थायी है तो तिथि जब तक सम्बद्ध किया गया है :——————————
   (iv) निम्नलिखित के तहत शामिल किए जाने की तिथिः————————————

(क) वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च)

(ख) यदि 17 जून, 1972 को या उसके बाद स्थापित की गई है तो वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12(ख) (कृपया प्रति संलग्न करें)

5. सरकारी/निजी/विश्वविद्यालय की प्रकृति

6. अवस्थिति

(i) क्या शहरी/छोटे शहर/ग्रामीण/दूर–दराज/पहाड़ी/सीमावर्ती/जनजातीय क्षेत्र में स्थापित है (कृपया बी0डी0ओ0/एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें)

(ii) क्या शैक्षणिक रुप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित है।

7.(क) क्या कॉलेज सहायता प्राप्त है अर्थात् राज्य/केन्द्र सरकार से वेतन अनुदान प्राप्त कर रहा है (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त गैर–योजनागत (अनुरक्षण) अनुदान की राशि ––– (दसवीं योजना के दौरान) राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त योजनागत अनुदान की राशि ––––– (दसवीं योजना के दौरान)

प्रतिपूर्ति किए गए व्यय का प्रतिशत –––––– (दसवीं योजना के दौरान)

(ख) संसाधन जिनका कॉलेज द्वारा शुल्क (फीस) ––––– अन्य आंतरिक स्रोतों ––––– बाह्य स्रोतों ––– (सरकारी/वि0अ0आ0 के अलावा) से सृजन किया गया।

दसवीं योजना (पूँजीगत व्यय, नए पद, पुस्तकें, उपस्कर) के दौरान राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त कुल योजनागत अनुदान :

क्र0सं0	**मद**	**राशि**
1.		

2.		
3.		
	कुल :	

दसवीं योजना के दौरान वि0अ0आ0 द्वारा प्राप्त योजनागत अनुदानः

मद	अनुमोदित राशि	प्राप्त राशि	31 मार्च, 2007 तक प्रस्तुत व्यय का विवरण	31 मार्च, 2008 तक प्रस्तुत व्यय का विवरण
1.				
2.				
3.				
कुल :				

8. कृपया श्रेणी का नाम बताएँ जिसमें कॉलेज आता है :–

(i) मानविकी / वाणिज्य कॉलेज

(ii) विज्ञान / बहु–संकाय कॉलेज

(iii) एकल संकाय स्नातकपूर्व कॉलेज

(iv) एकल संकाय स्नातकोत्तर कॉलेज

(v) बी0एड0 / एम0एड0 / बी0पी0एड0 / एम0पी0एड0 (सामान्य / विशेष) पाठ्यक्रम चलाने वाला शिक्षा कॉलेज

(vi) क्या कॉलेज में स्नातकोत्तर विभाग है (हाँ / नहीं)

(यदि हाँ तो कृपया स्नातकोत्तर विभागों के नाम बताएँ)

1.

2.

3.

(vii) स्वायत्त कॉलेज

(viii) श्रेष्ठता की संभाव्यता वाला कॉलेज (हाँ / नहीं)

9. **पाठ्यक्रम जिसके लिए विश्वविद्यालय स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर सम्बद्धता प्रदान की गई है (दर्शायें यदि क्षेत्र/प्रयोगशाला कार्य शामिल हैं)/सम्बद्धता प्रमाण पत्र को संलग्न किया जाए।**

कार्यक्रम	पाठ्यक्रम का नाम	क्षेत्र/प्रयोगशाला कार्य शामिल है	दाखिले की क्षमता	नामांकित छात्र (31.3.2007 के स्थितिनुसार)	शिक्षकों की संख्या
स्नातकपूर्व					
स्नातकोत्तर					
			कुल :		

10. (क) स्थायी शिक्षकों की कुल संख्या (अथवा स्थायी ———— सरकारी कॉलेजों के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त शिक्षक) तथा अस्थायी/तदर्थ (पूर्णकालिक) शिक्षक, अस्थायी/तदर्थ (पूर्णकालिक) ——— अंशकालिक/अतिथि/आगंतुक शिक्षक अंशकालिक/अतिथि/आगंतुक की कुल संख्या :

(नाम, पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, निष्णांत उपाधि स्तर पर प्राप्त वर्ग/डिवीजन/ग्रेड/स्थायी, अस्थायी/तदर्थ (पूर्णकालिक) तथा अंशकालिक/अतिथि/आगंतुक शिक्षकों के मामले में प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग–अलग नियुक्ति तथा स्थायी होने की तिथि (केवल स्थायी शिक्षकों के मामले में)।

(ख) अ0जा0/अ0ज0जा0 और अन्य श्रेणियों से शिक्षकों की कुल संख्या जिन्हें आरक्षण दिया जाना अपेक्षित है तथा शिक्षकों की कुल संख्या में उनका प्रतिशत

क्र0सं0	श्रेणी	संख्या जिसे आरक्षण किया जाना अपेक्षित है	पदों की संख्या	कुल का प्रतिशत
1				
2				
3				

11. 31 मार्च, 2007 की स्थितिनुसार डिग्री कक्षाओं तथा उससे आगे की कक्षाओं (बारहवीं कक्षा से आगे) में नामांकित छात्रों का प्रोफाईल :

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल*	अनुसूचित जातियाँ				अनुसूचित जन जातियाँ				अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)				अल्पसंख्यक				वित्तीय रुप से कमजोर**				शारीरिक रुप से विकलांग			
							पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
1	बी0ए0																													
2	बी0एस0सी0																													
3	बी.कॉम0																													
4	एम0ए0																													
5	एम0एस0सी0																													
6	एम0कॉम0																													
7	कोई अन्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक पाठ्यक्रम को सूचीबद्ध करें)																													

**प्रतिशत कुल नामांकन के प्रतिशत को दर्शाता है।

**गरीबी रेखा से नीचे की आय वाले परिवारों से आने वाले छात्र (जैसा कि राज्य/स0रा0क्षे0/केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्देशित)

12. नाक ग्रेड (सहायक दस्तावेजों सहित)

भाग–2 : स्नातकपूर्व शिक्षा के विकास हेतु प्रस्ताव

1. सहायता की अधिकतम सीमा जिसके लिए कॉलेज ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र है रुपये ————————————————————————

2. ग्यारहवीं योजना के दौरान कॉलेज विकास के लिए अपेक्षित सहायता का प्रस्ताव

क्र0सं0	मद	कॉलेज द्वारा प्रस्तावित राशि	विस्तृत औचित्य प्रतिपादन

			(कृपया अनुलग्नक संलग्न करे)
	मूलभूत विकास अनुदान (क)		
(क)	पुस्तकें व जर्नल		
(ख)	उपस्कर		
(ग)	उपस्करों का अनुरक्षण		
(ध)	भवन का निर्माण/विस्तार/पुनरूद्धारः		
	कक्षा प्रयोगशाला पुस्तकालय भवन कार्यशाला शेड पशुशाला पुरुष छात्रावास महिला छात्रावास कर्मचारी आवास/शिक्षक छात्रावास संगोष्ठि हाल समिति कक्ष परामर्शदाता प्रकोष्ठ प्रेक्षागृह शिक्षण कक्ष जलपान गृह अनिवासी छात्र केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र		

	खेल सुविधा अन्य		
(ड़)	मौजूदा भवन में सुविधाओं का सुधार		
(च)	कॉलेजों में सक्षमता निर्माण पहल		
(छ)	परीक्षा सुधार		
(ज)	शैक्षणिक नवोन्मेष		
(झ)	क्षेत्र कार्य/अध्ययन दौरे		
(ञ)	विस्तार कार्यकलाप		
	कुल (क) :		
	अतिरिक्त अनुदान (ख) :		
	मौजूदा भवन में सुविधाओं में सुधार–सामान्य कक्ष और महिलाओं के लिए शौचालय सुविधाएँ		
	ग्यारहवीं योजना के दौरान विकास अनुदान के साथ विलय की गई योजनाएँ		
(क)	पुराने कॉलेजों में अवसंरचना का नवीकरण		
(ख)	नवीन कॉलेजों के लिए 'कैच–अप' अनुदान		

(ग)	ग्रामीण / दूर–दराज / सीमावर्ती / पहाड़ी / जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कॉलेज		
(घ)	अ0जा0 / अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के अपेक्षाकृत अधिक अनुपात वाले कॉलेज		
(ड़)	कॉलेजों में **दाखिले की क्षमता में वृद्धि** हेतु विशेष अनुदान		
(च)	कॉलेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना		
(छ)	पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज		
(ज)	वि0अ0आ0 नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना		
(झ)	अ0जा0 / अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी अनुशिक्षण		
(ञ)	अ0जा0 / अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के लिए नेट अनुशिक्षण		
(ट)	अ0जा0 / अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ		
(ठ)	निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएँ		
(ड)	वृत्ति और परामर्शदात्री प्रकोष्ठ		
(ढ)	कॉलेजों में समान अवसर प्रकोष्ठ		

	कुल (ख) :		
	महायोग (क + ख) :		

नोट करें : कॉलेज को प्रत्येक मद का औचित्य सिद्ध करते हुए प्रत्येक मद का समर्थन और ब्यौरा एक अलग पृष्ठ पर देना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएँ, किस सीमा तक उनका उपयोग किया जा रहा है और आगे विस्तार करने के प्रस्ताव का विशिष्ट कारण दर्शाया जाए। भवन प्रस्तावों के लिए कॉलेज को सेवाओं तथा विद्युतीकरण, सैनीटरी फिटिंग, वास्तुविद् शुल्क, आकस्मिता आदि सहित कुल अनुमानित लागत को दर्शाना चाहिए। भवन निर्माण के प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि मौजूदा भवन का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

आयोग द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति कॉलेजों द्वारा सहायता प्राप्त करने के औचित्य की जाँच करेगी और तदनुसार आयोग को जारी की जाने वाले अनुदान की प्रमात्रा की सिफारिश करेगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्नातपूर्व शिक्षा के विकास के प्रस्ताव को उस कॉलेज के आयोजना बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है जिससे संकाय सदस्य जुड़े रहे हैं। कॉलेज के पास आवश्यकता पड़ने पर वि0अ0आ0 अनुदान के अलावा आवश्यक वित्तीय संसाधन तथा प्रबंधन क्षमता है जिससे वह प्रयोजन हेतु विहित निबंधन व शर्तों के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि के भीतर परियोजनाओं को पूरा कर सके तथा आयोग द्वारा यथाअपेक्षित आवश्यक लेखा विवरण व अन्य दस्तावेज जिनमें उपयोग प्रमाणपत्र भी शामिल है, प्रस्तुत कर सके। आयोग से माँगी गई सहायता, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ------ कॉलेज --- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल है और वि0अ0आ0 द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता है। कॉलेज वचन देता है कि वह अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए ही करेगा जिसके लिए वह संस्वीकृत किए गए हैं

और वि0अ0आ0 द्वारा निर्धारित अनुदानों की शर्तों में यथा अपेक्षित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

प्राचार्य के हस्ताक्षर——————————————————————————————

मुहर——————————————————————————————————

दिनांक ————————————————————————————————

कुलसचिव/समन्वयक/निदेशक, कॉलेज विकास परिषद्————————————————

मुहर——————————————————————————————————

दिनांक——————————————————————————————————

<u>प्रमाण पत्र</u>

{केवल अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कॉलेजों के लिए}

यह प्रमाणित किया जाता है कि ——— कॉलेज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तथा इसमें डिग्री कक्षाओं में अपेक्षित संख्या में अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)**/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र हैं तथा इस कार्यक्रम के तहत वि0अ0आ0 सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। कॉलेज द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक विकास इस प्रकार के हैं जो अ0जा0/अ0ज0जा0/**अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)**/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करेंगे। कॉलेज में विकास कार्यक्रमों को यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू करने के लिए आवश्यक प्रबंधन क्षमता है तथा वि0अ0आ0 द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक लेखा तथा दस्तावेज प्रस्तुत करता है।

स्थान :   प्राचार्य के हस्ताक्षर——————————————

दिनांक :   मुहर————————————————————————————

कुलसचिव / समन्वयक / निदेशक, कॉलेज विकास परिषद्————————————————

दिनांक;————————————————————————मुहर——————————————————

**जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास हेतु सहायता प्रस्ताव

(कृपया प्रस्ताव फार्म को भरने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े। दर्शाये गए मानदण्डों के अनुसार केवल पात्र विभाग के लिए ही प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए)।

भाग–1

1. (क) कॉलेज का नाम तथा पूरा पता, पिन कोड तथा राज्य ––––– ––––– एस0टी0डी0 कोड सहित दूरभाष नं0 ––––– फैक्स नं0 ––––– टेलेक्स नं0–––––ई–मेल आई0डी0––––––––
   (ख) न्यास/सोसायटी का नाम :
2. कॉलेज के बैंक का नाम, पता और खाता नं0 (जिसके तहत वि0अ0आ0 की निधियों का लेन देन किया जाना है) :–
3. विश्वविद्यालय जिससे सम्बद्ध है :
4. स्थापना की तिथि
5. प्रबंधन का स्वरूप : सरकारी/निजी/विश्वविद्यालय ––––––––––––––––––––
6. क्या कॉलेज ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बद्धन की विहित शर्तों को पूरा किया है?–
7. कॉलेज में उन विभागों के नाम जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं तथा दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तों पर खरा उतरते है।

भाग – 2

विभाग के संबंध में सूचना जिसके लिए विकास सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार के प्रत्येक विभाग के लिए पृथक पृष्ठ पर ब्यौरा दिया जाए।

1. विभाग का नाम

2. वर्ष जिससे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था

3. क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसके लिए सहायता माँगी गई है वह स्ववित्तपोषित है या नहीं। (हाँ/नहीं)

4. दिनांक ––– (कृपया तिथि दर्शाये) को एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0 आदि के 2 वर्षों के दौरान छात्रों के नामांकन की कुल संख्या (वर्तमान सत्र)

   एम0ए0

   एम0एस0सी0

   एम0कॉम0

   कोई अन्य

5. आवेदन की तिथि पर विभाग में शिक्षकों की कुल संख्या

   (i) पी0एच0डी0 डिग्री के साथ––––––––––––––––––––––––––

   (ii) केवल एम0फिल0 डिग्री के साथ––––––––––––––––––––––

   (iii) केवल निष्णांत डिग्री के साथ––––––––––––––––––––––––

   (कृपया नाम, कार्य ग्रहण की तिथि, योग्यता आदि के साथ सूची संलग्न करें)

6. सब्सक्राईब किए जर्नल उनके शीर्षक तथा प्रतिवर्ष अभिदान की राशि

7. पिछले तीन वर्षों के दौरान संकाय सदस्यों द्वारा आरंभ की गई लघु व बृहद अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा, प्रायोजक ऐजन्सी निधियों, अवधि आदि का ब्यौरा। उनमें से कितनी पूरी हो गई हैं?

8. स्टॉफ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान प्रकाशनों का ब्यौरा, अनुसंधान पत्र, जर्नल जिसमें प्रकाशन किया गया/प्रकाशन हेतु स्वीकार किया गया, प्रकाशन का वर्ष आदि का ब्यौरा दें। **कॉलेज प्राचार्य के साथ इंटरफेस बैठकों के समय प्रकाशनों की प्रतियों को समिति के समक्ष रखना अपेक्षित है।**

9. प्रकाशित किए गए पेशेवर जर्नलों का ब्यौरा

भाग – 3

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक सहायता हेतु प्रस्ताव।

विभाग का नामः

क्र0सं0	मद	कॉलेज द्वारा प्रस्तावित राशि	विस्तृत औचित्य प्रतिपादन (कृपया अनुलग्नक संलग्न करें)
1			
2			
3			
		कुल :	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ———————————————— कॉलेज ———————————————— विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल है और वि0अ0आ0 द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता है और इसलिए वि0अ0आ0 मानदण्डों के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। कॉलेज अनुदानों को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग करने का वचन देता है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया

था और वि0अ0आ0 द्वारा अनुदानों की शर्तों में विहित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कॉलेज के पास वि0अ0आ0 द्वारा विहित शर्तों के अनुसार अनुमोदित किए जाने वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन और प्रबंधन सक्षमता है। विकास कार्यक्रम कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षा के मानदण्डों में सुधार करने में मदद करेगा।

स्थान और दिनांकः

विभागाध्यक्षः

कॉलेज का प्राचार्यः

(मुहर)

कुलसचिव/समन्वयक/निदेशक, कॉलेज विकास परिषद्ः

(मुहर)

प्रमाण पत्र

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाला कॉलेज स्ववित्तपोषित नहीं है। निम्नलिखित स्नातकोत्तर विभाग (विभागों का नाम) स्ववित्तपोषित नहीं हैं :

1.
2.
3.

स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित नहीं हैं :

1.
2.
3.

स्थान और दिनांकः
कॉलेज का प्राचार्यः

अनुलग्नक–III

उपयेाग प्रमाण पत्र तथा आय और व्यय विवरण को प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

उपयोग प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ———————————————— के लिए **(मद का नाम लिखें)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वि0अ0आ0 के दिनांक ———————————— के पत्रांक सं0 ———————— के माध्यम से ——— **(यहाँ कॉलेज का नाम लिखे)** को संस्वीकृत ———————————— रुपेय (रुपये ————————————) के अनुदान को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया है तथा आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार इसका उपयोग किया गया है।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि के प्रतिदाय या उसे नियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से पूर्णत या विशेष रुप से सृजित/प्राप्त की गई स्थायी या अर्ध–स्थायी सम्पत्तियों की वस्तुसूची का निर्धारित प्ररुप में रखरखाव किया जा रहा है तथा इन परिसम्पत्तियों का न ही निपटान किया गया है, न ही इन्हें गिरवी रखा गया है न ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया गया है।

हस्ताक्षर ————————————— हस्ताक्षर———————————

प्राचार्य (मुहर सहित) सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक

(मुहर सहित)

नोट : उपयेाग प्रमाणपत्र के साथ लेखापरीक्षित लेखा विवरण संलग्न होना चाहिए जिसमें विभिन्न मदों पर किए गए व्यय दर्शाये गए हों।

अनुलग्नक–IV

आय और व्यय विवरण

वि0अ0आ0 द्वारा –––––––––– के लिए दिनांक ––––––––––––– के वि0अ0आ0 पत्रांक सं0 एफ0––––––––––––– के माध्यम से अनुमोदित आय और व्यय के लेखापरीक्षित विवरण :

आय (रु0)	व्यय (रु0)
1. वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान –––––	(यहाँ मद का नाम लिखें)
2. राज्य सरकार द्वारा अनुदान –––	
3. कॉलेज का अंशदान –––	
4. आंतरिक स्रोत, यदि कोई हो तो,,	
5. अन्य, यदि कोई हो तो,	
कुल :––––––––––––	**कुल :––––––––––––**

हस्ताक्षर ––––––––
प्राचार्य (मुहर सहित)

हस्ताक्षर ––––––––
सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक
(मुहर सहित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110 002

अनुलग्नक–क

''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क रिसोर्स केन्द्र की स्थापना'' योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए प्रोफार्मा जिसमें कॉलेज की विस्तृत सूचना अंतर्विष्ट हो।

1. कॉलेज का नाम :

2. कॉलेज का पूरा पता :

3. जिले का नाम जहाँ कॉलेज स्थित है :

4. विश्वविद्यालय जिससे कॉलेज सम्बद्ध है :

5. कॉलेज की स्थापना का वर्ष :

6. क्या कॉलेज को वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल किया गया है :

7. यदि हाँ, तो कृपया इसकी प्रति संलग्न करें :

8. कॉलेज की अवस्थिति : (कृपया निशान लगाएँ)
   (क) स्तर स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर
   (ख) श्रेणी पुरुष/महिला/सह–शिक्षा

9. **अवस्थिति**

क्या ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है : (हाँ/नहीं)
क्या पिछड़े क्षेत्र में स्थित है : (हाँ/नहीं)
क्या जनजातीय क्षेत्र में स्थित है : (हाँ/नहीं)
क्या पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है : (हाँ/नहीं)

10. (क) क्या कॉलेज को कम्प्यूटर खरीदने के लिए वि0अ0आ0 से अनुदान प्राप्त हुआ है:
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

11. **बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 या किसी अन्य (कृपया उल्लेख करें)** के वर्तमान अकादमिक वर्ष के दौरान **प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम** के तहत कॉलेज में छात्रों की संख्या
———————————— स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0 या कोई अन्य (कृपया उल्लेख करें) ————————————————————
छात्रों की कुल संख्या पुरुष —— महिला —— (सभी पाठ्यक्रमों में)
(डिग्री तथा इससे ऊपर का स्तर) :

12. पिछले वर्ष के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत
प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ————————————————————
बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 या किसी अन्य (कृपया उल्लेख करें)
एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0 या कोई अन्य (कृपया उल्लेख करें)

13. वर्तमान अकादमिक वर्ष के दौरान शिक्षण स्टॉफ की संख्या
(क) स्थायी ——
(ख) अस्थायी ——— अकादमिक वर्ष
(ग) कुल ——

14. कॉलेज में मौजूदा कम्प्यूटर सुविधाएँ, तत्संबंधी ब्यौरा

15. क्या कॉलेज के पास कम्प्यूटर प्रणाली को संस्थापित करने के लिए लगभग 150–200 वर्ग मी0 का स्थान है?

16. क्या कॉलेज 20,000 रुपये प्रतिवर्ष तक अनुरक्षण व्यय की पूर्ति करने की स्थिति में है?

17. स्टॉफ के सदस्यों की सूची जिनके पास विशेष कम्प्यूटर आधारित योग्यता है कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण तथा अनुभव है।

18. क्या कॉलेज कोई कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा है?

19. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क

20. क्या पड़ोसी कम्प्यूटर केन्द्रों के शिक्षकों द्वारा भी सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है? यदि हाँ, इस पर कितना व्यय हुआ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य ठीक है।

दिनांक —— **(प्राचार्य के हस्ताक्षर)**

कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया और ठीक पाया गया। कम्प्यूटर सुविधाओं के लिए वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेज की सिफारिश की जाती है/सिफारिश नहीं की जाती हैं।

दिनांक ——

कुलसचिव या निदेशक
कॉलेज विकास परिषद्

अनुलग्नक–ख

अनुवर्ती अनुदान को जारी करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजः

1. क्रय किए गए कम्प्यूटर तंत्र का ब्यौरा तथा इसकी मदवार लागत।

2. कम्प्यूटर तंत्र को संस्थापित करने की तिथि तथा इसकी संस्थापना रिपोर्ट।

3. संस्थापित कम्प्यूटर तंत्र की कार्यचालन रिपोर्ट।

4. कम्प्यूटर तंत्र के क्रय के लिए फर्म के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते/क्रयादेश की प्रति, साथ ही बोली का तुलनातम्क विवरण।

5. सनदी लेखाकार तथा प्राचार्य द्वारा विधिवत् रुप से हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाणपत्र।

अनुलग्नक–ग

(वि0अ0आ0 को उपयोग प्रमाण पत्र भेजने का प्रोफार्मा)

उपयोग प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कॉलेज में पर्सनल कम्प्यूट संस्थापित करने के लिए वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदित ———————————————— रुपये (रुपये ————————————————) के अनुदान को निम्नवत् ब्यौरे के अनुसार उपयोग किया गया है :

   वि0अ0आ0 से प्राप्त अनुदान की राशि, किए गए व्यय का मदवार ब्यौरा :
   कुल :————————————————————————————————

2. वि0अ0आ0 को प्रतिदाय/प्रतिदेय अव्ययित शेष :————————————————

3. वि0अ0आ0 द्वारा भुगतान की जाने वाला शेष अनुदान :————————————————

4. प्रमाणित किया जाता है कि वि0अ0आ0 के दिनांक —————————— के पत्रांक सं0 ———————————— में निबंधन व शर्तों को कॉलेज द्वारा पूरा किया गया है और अनुदान का उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था।

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है वि0अ0आ0 द्वारा दिए गए अनुदानों द्वारा पूर्ण रुप से या मुख्य रुप से सृजित/प्राप्त स्थायी या अर्ध स्थायी परिसम्पत्तियों की वस्तुसूची का विहित फार्म में रखरखाव किया जा रहा है तथा

अद्यतन किया जा रहा है और इन परिसम्पत्तियों का निपटान नहीं किया गया है, न ही इन्हें गिरवी रखा गया है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया गया है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
(रबड़ मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर
(रबड़ मुहर सहित)

उपचारी अनुशिक्षण/नेट के लिए अनुशिक्षण कॉलेजों में सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण

अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए **वार्षिक प्रगति रिपोर्ट**

कॉलेज का नामः ————————————————————————————

योजना को किस वर्ष में अनुमोदित किया गया :————————————————————

कार्यान्वयन की वास्तविक तिथि :————————————————————————

लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या :————————————————————

	अ0जा0 छात्र	अ0ज0जा0 छात्र	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र	कार्यरत शिक्षक	लिए गए पीरीयडों की संख्या	आयोजित परीक्षाओं की संख्या	छात्रों को दी गई टंकित सामग्री के पृष्ठों की संख्या	परीक्षा का परिणाम (प्रदर्शन दर्शायें–परीक्षा में बैठने/उत्तीर्ण होने/असफल होने वाले छात्रों की संख्या
स्नातकपूर्व विषयः								
1								
2								
3								
4								
स्नातकोत्तर विषयः								
1								
2								
3								
4								
नेट के लिए अनुशिक्षण								
1								
2								
3								
4								
सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण								
1								
2								
3								
4								

अ0जा0/अ0ज0जा0 और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण/नेट के लिए अनुशिक्षण/ सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजना के लिए व्यय के विवरण हेतु प्रोफार्मा

कॉलेज का नाम ————————————————————————————

वि0अ0आ0 अनुमोदन की दिनांक तथा पत्रांक संख्या ————————————————

अवधि जिससे लेखा संबंधित है ———————— से ————————————————

किए गए वास्तवित व्यय का ब्यौरा ————————————————————————

क्र0सं0	मद	अनुमोदित आवंटन	किया गया व्यय
<u>अनावर्ती</u>			
1.	उपस्कर		
2.	पुस्तकें और जर्नल तथा अध्ययन सामग्री		
<u>आवर्ती</u>–(प्रतिवर्ष)			
1.	समन्वयक को मानदेय		
2.	शिक्षकों को मानदेय*		
3.	स्नातकोत्तर छात्रों/अनुसंधान		

	स्कॉलरों को पारिश्रमिक*		
4.	विशिष्ट शिक्षाविदों को पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता सहित)*		
5.	अंशकालिक अवर श्रेणी लिपिक को भुगतान		
6.	आकस्मिता		

***शिक्षकों, स्नातकोत्तर छात्रों, अनुसंधान स्कॉलरों, विशिष्ट शिक्षाविदों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक को पृथक पृष्ठ पर दिया जाए जिसमें लिए गए पीरीयड की संख्या और पढ़ाए गए विषय दर्शाये जाएँ।**

कॉलेजों में वृत्ति तथा परामर्श हेतु विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

भाग–1

मूलभूत सूचना

1. कॉलेज का नामः
2. क्या कॉलेज वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है? (हाँ/नहीं)
3. मौजूदा अकादमिक वर्ष के दौरान डिग्री कक्षाओं में संकायवार नामांकन
4. संकाय संख्या

   प्रोफेसर (जहाँ कहीं भी लागू हो)

   रीडर

   लेक्चरार

   अन्य

   कुल :

5. वित्तीय भार (मदवार)
6. यह प्रमाणित किया जाता है :–
   (क) कि कॉलेज वि0अ0आ0 द्वारा समय–समय पर छात्रों को संदर्भ सूचना प्रदान करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
   (ख) कि वृत्ति तथा परामर्श हेतु प्रस्तावित विशेष प्रकोष्ठ, वि0अ0आ0 द्वारा यथा विहित कार्य करेगा।

(ग) कि कॉलेज, योजना के तहत वि0अ0आ0 वित्तीय सहायता की समाप्ति पर अपने संसाधनों से स्थायी आधार पर वृत्ति और परामर्श हेतु विशेष प्रकोष्ठ को चलाता रहेगा।

दिनांक :

(प्राचार्य के हस्ताक्षर)
कॉलेज की मुहर

अनुलग्नक–च

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1. कॉलेज का नाम :——————————————————————————
2. वि0अ0आ0 अनुमोदन की तिथि और पत्र संख्या : संख्या एफ0 ——— दिनांक ———
3. अवधि जिसके लिए लेखा का संबंध है :————————————————————
4. किए गए वास्तविक व्यय का विवरण (मदवार) :————————————————

प्राचार्य के हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

(मुहर सहित) **सरकारी लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकार**

ग्यारहवीं योजना के दौरान कॉलेजों के दृष्टिबंध शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विहित प्ररूप

1. कॉलेज का नाम ————————————————————————————

2. कॉलेज का पता ————————————————————————————

3. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम————————————————————————

4. विश्वविद्यालय का पता, फोन नं0——— फैक्स नं0——— ई0मेल————————————

5. क्या कॉलेज वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत है?————

6. क्या वि0अ0आ0 / राज्य सरकार से गैर–योजनागत / योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहा है (कृपया दर्शायें) ————————————————————————————

7. व्यक्ति का नाम ————————————————————————————

8. * अंधता का स्वरूप ————————————————————————————
   –पूर्ण अंधता ————————————————————————————
   –कम दृष्टि ————————————————————————————
   (इस संबंध में सरकारी अस्पताल से जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें)

9. विभाग का नाम————————————————————————————

10. विभाग में नियुक्ति की तिथि————————————————————————

11. रीडर का नाम–––

12. रीडर की शैक्षणिक योग्यता––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. रीडर को भुगतान किए जाने वाला मानदेय : प्रतिमाह रु–––––––––– की दर से

14. भुगतान किये जाने वाली कुल राशि––––––––––––––––––––––––––––––
(रीडर से राजस्व टिकट लगी एक रसीद संलग्न करें)

रीडर संबंधित शिक्षक प्राचार्य (मुहर सहित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ———————————— के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक ———————————— के पत्र सं0 ———————————— के माध्यम से ———————————— कॉलेज को संस्वीकृत रुपये ———————————— (रुपये ————————————————————————) के अनुदान को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा आयोग द्वारा निबंधन और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि के प्रतिदाय या उसे विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

प्राचार्य (मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक
(मुहर सहित)